शिविर कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर।
संख्याःसीओएम–छः–रीडर–विवेचना मानक सर्कुलर–6/2015 5743 दिनांकः जून 27 ,2015

पुलिस अधीक्षक,
मीरजापुर/सोनभद्र/भदोही।

कृपया समीक्षा करने पर पाया जा रहा है कि विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं में मानको एवं गुणवत्ता का ध्यान नही रखा जा रहा है। सरसरी तौर पर विवेचना प्रकिया पूरी की जा रही है। इसके दृष्टिगत विवेचना संबंधी मानक प्रकिया के बिन्दु निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित किये जा रहे है। विवेचना संबंधी मानक प्रकिया की बुकलेट जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को प्रेषित कर अंकित निर्देशों/मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

27/6/15
(शिव सागर सिंह)
पुलिस उप महानिरीक्षक,
विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर।
o/c

अनुक्रमणिका

1— शारीरिक क्षति के केसों में विवचेना की मानक प्रक्रिया।

2— सम्पत्ति संबंधी अपराधों के विवेचना की मानक प्रक्रिया।

3— अपराधियों से पूछतॉछ की मानक प्रक्रिया।

4— मुकदमों से संबंधित विशेषज्ञ का मन्तब्य प्राप्त करना।

5— हत्या की सूचना पर की जाने वाली कार्यवाही एवं विवेचना के लिये चेकलिस्ट।

6— वाहन चोरी की विवेचना।

7— दुर्घटना कर भागने वाले वाहनों से संबंधित मुकदमों की जॉच।

8— सड़क दुर्घटना केसों के विवेचना की सामान्य मानक प्रक्रिया।

9— साधारण चोरी की विवेचना में सामान्य मानक प्रक्रिया।

10— खोये हुये व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

11— खोये हुये व्यक्तियों के संबंध में मानक प्रक्रिया।

12— अज्ञात शव प्राप्त होने पर कार्यवाही।

13— जाली मुद्रा के संबंध में कार्यवाही।

14— व्यपहरण/अपहरण/फिरौती हेतु अपहरण में कार्यवाही।

15— बलवा के अपराधों में कार्यवाही।

16— विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी के मुकदमों की विवेचना।

17— स्नेचिंग केस में कार्यवाही।

18— महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार संबंधी केस में कार्यवाही।

19— बलात्कार के अभियोग की विवेचना।

20— पति द्वारा उत्पीड़न एवं आत्महत्या केस की विवेचना।

21— अपराधिक न्यास भंग के विषय में कार्यवाही।

22— डकैती/लूट में कार्यवाही।

1— शारीरिक क्षति के केसों में विवचेना की मानक प्रक्रियाः—

(1) **उद्देष्यः—** क्षति के केसो में जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करना व कारणों का विश्लेषण तथा बड़ी घटनाओं को होने से रोकने हेतु कार्यवाही करना।

(2) **क्षेत्रः—** सम्पूर्ण थाना क्षेत्र।

(3) **संदर्भः**—भादवि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल।

(4) **जिम्मेदारीः**—विवेचनाधिकारी व उनके सहयोगी।

(5) **परिभाषाः**—अभियुक्तों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी व दण्डित कराना तथा जनता का जीवन सुरक्षित करना व कानून व्यवस्था स्थापित करना।

(6) **प्रक्रियाः**—धारा 323 से 326 भादवि शारीरिक क्षति से संबंधित अपराध।

धारा 323 भादवि निःशस्त्र कारित सामान्य क्षति।
धारा 324 भादवि सशस्त्र कारित सामान्य क्षति।
धारा 325 भादवि निःशस्त्र कारित गम्भीर क्षति।
धारा 326 भादवि सशस्त्र कारित गम्भीर क्षति।
धारा 341 भादवि आपराधिक अवरोध।
धारा 342 भादवि आपराधिक निरूद्धि।

हत्या के सामान्य कारण

(1) भूमि विवाद (2) पारिवारिक विवाद (3) विवाहेत्तर संबंध (4) दीर्घकालिक पूर्ण शत्रुता (5) राजनैतिक बर्चस्व का विवाद (6) दलगत विवाद (7) आर्थिक कारण (8) जुआ (9) नशा (10) व्यापारिक प्रतिस्पर्धा (11) गैंगवार (12) माफिया गिरोह (13) अराजक तत्वों द्वारा क्षेत्र में वर्चस्व प्राप्ति का प्रयास (14) अकस्मात उत्तेजना (15) छुद्र कारण जैसे (क) घर के सामने कुड़ा फेकना (ख) बच्चों के विवाद में बड़ों का हस्तक्षेप (ग) पेयजल संबंधी विवाद (घ) सामान्य उपद्रव (ड़) पड़ोसियों से विवाद (च) महिलाओं से छेड़छाड़ (छ) मारपीट के विवाद में हस्तक्षेप के समय चोट लगना।

सूचना की प्राप्ति

(1) सूचना पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए (सूचना दूरभाष/संदेश/पीएचएफ संदेश/मौखिक/लिखित हो सकती है)

(2) जानकारी मिलने पर शिकायत का इन्तजार न करके तुरन्त घटना स्थल पर पहुचे। जितना शीघ्र घटनास्थल पर पहुचेगें उतना ही किसी बड़ी घटना की सम्भावना को बचा सकेगें। सामान्यतया इस शीर्षक की छोटी घटनायें बड़ी घटनाओं जैसे हत्या का प्रयास, हत्या, दंगा, साम्प्रदायिक दंगा, जातिगत दंगा आदि को जन्म देती है।

(3) कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तत्काल पिकेट लगाया जाय।

(4) जनता के साथ विनम्र व धैर्यवान रहे। उन्हें भड़काने व स्थिति खराब करने वाले शब्दों का प्रयोग न किया जाय।

(5) निष्पक्ष रहें। किसी एक का पक्ष न लें।

(6) यथाशीघ्र स्थिति सामान्य करने का प्रयास करें।

(7) शिकायतकर्ता के अनपढ़ होने की स्थिति में मौखिक बयान अंकित करें।

(8) घायलों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायें तथा उन्हें कम से कम दिक्कत देते हुये यथा सम्भव अधिकतम उपयोगी सूचना प्राप्ति का प्रयास करें।

(9) शिकायतकर्ता का सावधानी पूर्वक आंकलन कर घटना की पूर्ण जानकारी की जाय। यथा

(क) घटना का दिनांक व समय
(ख) घटना का मोटिव
(ग) प्रयुक्त शस्त्र
(घ) चस्मदीद साक्षी
(ड़) मजरूब व अभियुक्त का रिश्ता
(च) अभियुक्तों की संख्या

(छ) घटना स्थल
(ज) विस्तृत पूर्व सत्यता
(झ) घायलों की संख्या

यदि उपरोक्त सूचना शिकायत में अंकित नही है तो कमियों की पूर्ति करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को सुधार कर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर बनवायें। यदि अभियुक्त अराजक/असामाजिक तत्व, गिरोह से संबंधित हो तो आगे घटना रोकने के लिये धारा 307/450/ 452 व 506 भी जोड़ दें।

(10) ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मियों/मुखबिरों को जनता के माध्यम से सूचना संकलन हेतु छोड़ दें।

(11) विवेचना की कार्ययोजना तैयार कर पर्यवेक्षण अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

(12) <u>घटनास्थल का संरक्षणः–</u>

(क) उत्सुक देखने वालों को नियंत्रित करें जिससे व घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ न कर पायें और घटनास्थल सुरक्षित रहे।
(ख) समान्यजन को घायलों से पृथक कर दें, जिससे वह भ्रमित न होकर घटनाक्रम का विस्तृत व सही स्मरण कर सके।
(ग) घायलों को ढ़ाढ़स बधाकर व तत्काल कार्यवाही का आश्वासन देकर उनका तनाव कम करें।

(13) <u>घटनास्थल का आंकलन व खाका खीचनाः–</u>

(क) भौतिक साक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करना।
(ख) आंकलन को निष्पक्ष व बुद्धिमान मध्यस्थों की उपस्थिति में अंकित करना।
(ग) घटनास्थल की वीडियों ग्राफी/फोटो ग्राफी करना।
(घ) सूत्रदल, स्वानदल का आवश्यकतानुसार उपयोग करें।
(ड़) प्रत्यक्षदर्शियों के साथ विस्तृत वार्ता कर अभिकथन अंकित करें।
(च) संलिप्त अभियुक्त का विवरण यथा अभियुक्तगण क्या किरायें पर आये गिरोह से संबंधित है या अभियुक्तगण की स्वयं शत्रुता है। क्या अभियुक्तगण अराजक तत्व है। क्या अभियुक्त अपराध कर्ताओं के सहयोगी जैसे एक औरत अपराध हेतु अपने प्रेमी का सहयोग ले सकती है।

(14) <u>साक्ष्य एकत्र करना</u>ः–

(क) घटनास्थल का विस्तृत पंचनामा, सरसरी नक्शा व अपराध संबंधी फार्मो को पूर्ण रूप से भरना।
(ख) प्रत्यक्ष दर्शियों के विस्तृत बयान, अपराध का उद्देश्य/तरीका प्रदर्शित करती समयी साक्ष्य एकत्र करना।
(ग) कोई संदेहास्पद व घटनास्थल से प्राप्त जो अभियुक्त की हो सकती है कब्जे में लेना।
(घ) केस डायरी का प्रथम पर्चा, आपराधिक कार्ययोजना व प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध के बावत छूट गये विवरण का समन्वय स्थापित करना। जिससे अपराध में प्रयुक्त शस्त्रों का विस्तृत विवरण भी हो, अंकित करें।
(ड़) यदि घायल की स्थिति गम्भीर हो तो मरणासन्न बयान अभिलिखित कराने की व्यवस्था करना।
(च) महत्वपूर्ण गवाहों का धारा 164 जा0फौ0 में बयान अभिलिखित कराना।
(छ) जहां लागू हो कार्यवाही शिनाख्त परेड परीक्षण कराना।
(ज) अभियुक्त के तद्नन्तर आचरण का साक्ष्य एकत्रित करना। जैसे उन गवाहों के बयान अभिलिखित करना जिनके समक्ष अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया हो।
विभिन्न स्थलों पर अभियुक्त के ठहरने, छिपने का प्रमाण आदि से अभियुक्त का अपराध से संबंध स्थापित करें।

(च) अभियुक्त को गिरफ्तार कर विस्तृत स्वीकारोक्ति अंकित करें तथा उन भौतिक वस्तुओं का जो उपयोगी हो दो साक्षियों के समक्ष फर्द तैयार कर कब्जे में लेना।

(छ) आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अभियुक्त को अपना पक्ष सुरक्षित करने का अवसर प्रदान करना।

(ज) अभियुक्त के पक्ष व अभियुक्त को आरोप पक्ष के साथ प्रस्तुत करना।

(झ) जहां भी सम्भव हो अभियुक्त को आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय।

(ई) अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का अधिग्रहण कर रक्त रंजित शस्त्र, कपड़े, अन्य रक्त रंजित माल को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना।

(ट) अपराध करने के दौरान आत्मरक्षा हेतु अभियुक्त को पहुचायी गयी क्षति हेतु अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण करायें।

(ठ) अभियुक्त द्वारा अपराध में प्रयुक्त वाहन को अधिग्रहित करना।

(ड) यथा सम्भव सरकारी अधिकारियों को पंचनामें में गवाह रखना।

(ढ) समय–समय पर कार्यवाही की प्रगति से प्रभावित/वादी को अवगत कराना।

(ण) न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त की निरूद्धता बढ़ाने हेतु सत्त प्रयास करना।

(त) केस डायरी का समापन अभियोजन के पक्ष में या अन्यथा साक्षियों का पूर्ण आंकलन करते हुये करना।

(थ) साक्षियों का पूर्ण अंकन व आरोप पत्र को तैयार कर समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी के अनुमोदन के साथ प्रस्तुत करना।

(द) संबंधित थाना प्रभारी की मुकदमें के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति तथा अभियोजन एजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित करना। विशेषकर भौतिक साक्षियों के परीक्षण जैसे वादी, घायल, प्रत्यक्षदर्शी व पंचनामा के साक्षियों के न्यायालय में बयान के दिन।

(ध) सत्त अवादित व त्वरित मुकदमें का संचालन सुनिश्चित करना।

(न) प्रक्रिया के पूर्ण विवरण के साथ सजा का मीडिया में उचित व बृहद प्रचार कराना।

<u>रिकार्ड प्रविष्टियॉ अनिवार्य रूप से की जायः</u>–

(1) जनरल डायरी में

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट इडेक्स में

(3) अपराधी खोज रजिस्टर में

(4) हिस्ट्रीशीट खोलना

(5) सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार गिरफ्तार व्यक्तियों के रजिस्टर में अंकित करना।

<u>2– सम्पत्ति संबंधी अपराधों के विवेचना की मानक प्रक्रियाः–</u>

<u>उद्देष्य</u>:–अपराधों को रोककर व्यक्तियों की सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा वैज्ञानिक विधि से अपराधों का अनुसंधान कर अपराधमुक्त समाज की स्थापना करना।

<u>जिम्मेदारियॉ</u>:–

(क) ढाचा तैयार करना, निरीक्षण करना तथा प्रोग्राम तैयार करना।

(ख) प्रशिक्षण

(ग) लागू करना

(घ) परिभाषा–––नियमानुसार खोजकर सम्पत्ति से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करना।

(ड़) विधिः–

(1) शिकायत प्राप्त करना

(2) छूट गये विवरण को संलग्न कर प्रथम सूचना रिपोर्ट का सम्बर्धन

(3) कार्य की रूपरेखा तैयार करना तथा वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना।

(4) चोरी गयी सम्पत्ति की सूची तैयार करना

(5) कृत अपराध की प्रकृति समझने हेतु
   (क) प्राप्ति के लिये हत्या
   (ख) डकैती
   (ग) लूट
   (घ) दिन में गृहभेदन
   (ड़) रात में गृहभेदन
   (च) साधारण चोरी यथा–छीनना, वाहन चोरी, जेब काटना आदि
   (छ) पशु चोरी
   (ज) साईकिल चोरी

(6) शिकायतकर्ता को उसकी भावनायें आहत करने वाले प्रश्नों के बजाय सान्त्वना देना।

उदाहरणः–

   (क) क्या आपने घर में ताला लगाया था
   (ख) आपने इतना अधिक नकद घर में क्यों रखा
   (ग) बाहर जाते समय आपने घर में कीमती सामान क्यों रखा
   (घ) आपका मतलब है कि पुलिस सिर्फ आपकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये है।
   (ड़) आप सभी लोग बहुत उदसीन, लापरवाह व अव्यवस्थित है।

(7) वादी का दुख कम करने हेतु उसका हौसला बढ़ाना।

(8) उचित धारा लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल निर्गत करना।

उदाहरणः–

   (क) गलत धारा का प्रयोग न करें जिससे कि जॉच की दिशा बदलें। यदि 05 से अधिक व्यक्ति है तो डकैती की धारा लगाये न कि लूट की धारा
   (ख) अपराध की गुरूता को परिवर्तित न करें।
   (ग) कानून की गलत धारा का प्रयोग जॉच की दिशा को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है क्योंकि इससे अपराध करने का तरीका बदल जाता है तथा इसके कारण वह व्यक्ति पकड़े जाते है तथा उनसे पूछतॉछ होती है जो अपराध से संबंधित नही होते है।

(9) विना विलम्ब के घटनास्थल पर पहुॅचें

(10) घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को घटनास्थल से छेड़छाड़ न करने की सलाह दें।

(11) भौतिक साक्ष्य व घटनास्थल से अगुली चिन्हों को एकत्रित करने हेतु फोरेन्सिक टीम को बुलायें।

(12) अपराधियों का पता लगाने हेतु स्वानदल का सहयोग लें।

(13) घटनास्थल के सूक्ष्म निरीक्षण, उनके द्वारा किये गये कार्य व कार्यलोप से अपराधियों द्वारा अपनायी गयी अपराध प्रक्रिया के बारे में निश्चित जानकारी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अपराधी कैसे प्रविष्ट हुये और कैसे निकले

प्रवेष के लिये प्रयुक्त तरीकाः–

मुख्यद्वार का ताला तोड़कर

   (1) हुक तोड़कर
   (2) कुण्डी तोड़कर
   (3) खिड़की की सलाखे टेढ़ीकर
   (4) रोशनदान द्वारा
   (5) नकली चाभी द्वारा

(6) सेंध बनाकर
(7) छत पर चढ़कर
(8) खिड़की के कपाट तोड़कर
(9) पिछला दरवाजा तोड़कर
(10) दरवाजे के लकड़ी के पल्ले तोड़कर
(11) डकैती व लूट के मामलों में
    (1) कितने अपराधी थे
    (2) उनका पहनावा कैसा था
    (3) प्रयुक्त आवागमन का साधन
    (4) बोल चाल की भाषा
    (5) उनके पास उपलब्ध शस्त्र
        - घटनास्थल पर उपलब्ध प्रयुक्त संसाधन
        - क्या कोई पद चिन्ह या अंगुलि चिन्ह उपलब्ध है
        - क्या अपराधियों ने कोई साक्ष्य छोड़ा है
    (1) छोड़े गये सिगरेट/बीडी के टोटे
    (2) अपराध के दौरान प्रयुक्त मोमबत्तियां
    (3) मात्र नकद की चोरी
    (4) मात्र स्वर्ण की चोरी
    (5) मात्र इलेक्ट्रानिक उपकरणों की चोरी
    (6) मात्र अनाज की चोरी
    (7) घर में रखा खाना खाया हो
    (8) घटनास्थल पर शौच किया हो

(14) दो गवाहों के समक्ष घटनास्थल का विस्तृत पंचनामा तैयार करें व सरसरी नक्शा बनायें तथा संदेहास्पद वस्तुओं की फर्द बनाकर कब्जे में लें।
(15) गवाहों का आंकलन कर उनके बयान अंकित करें।
(16) कार्यविधि के अनुसार अपराधियों की विभिन्न शीर्षकों में सूची बनायें। उनकी खोज करें व अपराध में संलिप्तता का परीक्षण करें। सम्भावित गैंग का पता लगायें व किसी खास गैंग पर ध्यान केन्द्रित करें।
(17) सूत्र प्राप्ति हेतु विश्वसनीय मुखबिर नियुक्त करें।
(18) चोरी का सामान खरीदने वाले व रूपया उधार बाटने वाले दुकानदारों की जानकारी रखें।
(19) सीमावर्ती थानों से सूचनाओं का आदान–प्रदान करें।
(20) नियमित सीमान्त अपराधी गोष्ठी, सूचनाओं का आदान–प्रदान करते रहे।
(21) जेल से छूटे अपराधियों की सूची तैयार करें तथा उनकी अपराधों में संलिप्तता की गहन जॉच करें।
(22) विचाराधीन/जमानत पर छूटे अपराधियों की सूची बनायें तथा उनकी संलिप्तता की जॉच करें।
(23) अपराध होने वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ायें।
(24) हल्कों का पुर्नगठन करें।
(25) सम्भावित स्थानों पर वाहन चेकिंग बढ़ायें।
(26) रक्षा दलों (ग्राम सुरक्षा समितियों) में बृद्धि करें।
(27) कालोनी एसोशिएशन/अन्य एसोशिएशन के साथ ताल–मेल बढ़ायें।
(28) होने वाले विभिन्न अपराधों की कार्यविधि जो अपराधी प्रयुक्त करते है, के बारे में पर्चे बाटकर व अन्य प्रचार माध्यमों से जनता को जागरूक करें जिससे वे स्वयं भी इसका शिकार होने से बच सके।

(29) किसी पुलिस अधिकारी की कार्यक्षमता ज्ञात अपराध के स्थान पर अज्ञात अपराध का पता लगाने पर ज्यादा स्थापित होती है। अतः सम्पत्ति अपराधों का पता लगाने पर विवेचक की प्रतिभा स्थापित होती है।

(30) पड़ोसियों से सम्पर्क करें व अज्ञात व्यक्तियों, आने–जाने व किसी के लगातार आने–जाने के बारे में पता करें।

(31) कभी व्यक्तियों द्वारा उनके विकृत मानसिक चरित्र के कारण भी अपराध कर दिया जाता है। इस पक्ष पर ध्यान देना आवश्यक है।

(32) कभी–कभी कर्जे की भारी मात्रा अदा करने से बचने के लिये वादी छूठी रिपोर्ट लिखा देते है। ऐसे मामलों में पुलिस को बहुत ध्यान देना चाहिए।

(33) वादी से सत्त सम्पर्क रख उसे आश्वस्त करते रहे कि आपके अपराध का अनावरण करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। उसे प्रगति से भी अवगत करायें।

(34) छूटे हुये सजायाफ्ता अपराधियों से सम्पर्क कर उन्हें पुनः स्थापित करें। जिससे उन्हें भविष्य में मुखबिर की तरह इस्तेमाल किया जा सके।

(35) स्वयंसेवी संगठनों की मदद से अपराधियों से विचार विमर्श करें।

(36) सादे कपड़ों में बाल अपराधियों से विचार विमर्श करें।

(37) वाहन चोरी, अन्य चोरी व छीनने की घटनाओं में महत्वपूर्ण जगहों पर अपराधियों को पकड़ने हेतु घात लगायें।

(38) अनुसंधान में वैज्ञानिक साधनों एवं इलेक्ट्रानिक संसाधनों का प्रयोग करें।

(39) अपराधी को खोजने के पश्चात् विधिवत् पूछतॉछ करें।

(40) अपराधी की अपराध में संलिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य एकत्रित करें।

(41) अभियुक्त की निशादेही पर लूटी/चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी करें।

(42) यदि प्राप्तकर्ता (चोरी का सामान खरीदने वाला) नियमित आदी अपराधी है तो उसका धारा 411 भादवि में चालान करें।

(43) अपराधी के कथन पर उसके दूसरे सहयोगियों का पता लगायें व ध्यान पूर्वक उनकी संलिप्तता स्थापित करें।

(44) गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करें।

(45) अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल में दाखिल करायें।

(46) यदि अभियुक्त दूसरे क्षेत्र के अपराध की स्वीकारोक्ति करें तो तत्काल संबंधित को संदेश भेज दें। इससे वह वारण्ट बनवाने की कार्यवाही कर सके। क्योकि अधिकतर मामलों में वारण्ट फाइल होने में इतनी देर हो जाती है कि अभियुक्त जेल से छूट जाता है।

(47) डकैती व लूट के मामलों में माल/मुल्जिम की परीक्षण कार्यवाही शिनाख्त परेड करायें।

(48) अभियुक्त के पद/अंगुलि चिन्ह लें व घटनास्थल से प्राप्त चिन्हों से मिलान करायें। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

(49) गिरोह के मामलों में सूचना सहित गैंग रजिस्टर्ड करायें।

(50) शासकीय अधिवक्ता से परामर्श कर आरोप पत्र प्रस्तुत करें।

(51) यदि अपराधी आदी अपराधी है तो धारा 75 जा0फौ0 का प्रयोग करें।

(52) सभी सम्भावित व्यक्तियों के साथ न्याय करने हेतु बरामद सम्पत्ति का अनुपातिक वितरण करें।

(53) बरामद सम्पत्ति तत्काल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें व न्यायिक मजिस्ट्रेट से सम्पत्ति की प्रभावित व्यक्ति को वापस करने हेतु प्रार्थना करें तथा उसकी प्रविष्टियों को साक्ष्य के तौर पर प्रयोग करें।

3—अपराधियों से पूछतॉछ की मानक प्रक्रियाः—

उद्देष्यः— अपराध का पता लगाने हेतु अपराधियों से व्यवस्थित व वैज्ञानिक पूछतॉछ विधि।

परिभाषाः— विधिवत पूछतॉछ के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों से सत्य का ज्ञान करना व अभियुक्तों की अपराध में संलिप्तता स्थापित करना।

प्रक्रियाः—

1— पूछतॉछ किये जाने वाले व्यक्ति की मनः स्थिति समझे।
2— संदिग्ध व्यक्ति की सूचना ध्यानपूर्वक लिखे जब वह सूचना दे रहा हो तो उसमें व्यवधान न डाले।
3— प्राप्त सूचना का आंकलन करें।
4— जिस व्यक्ति से पूछतॉछ की जा रही है उसे विश्वास दिलायें कि उसके साथ न्याय होगा।
5— पूछतॉछ के दौरान अपशब्दों का प्रयोग न करें।
6— पूछतॉछ में जल्दबाजी न करें।
7— उत्तेजित न हो तथा धैर्य न खोयें।
8— घटना स्थल की परिस्थिति साक्ष्यों द्वारा प्रस्तुत पक्ष व पूछतॉछ के दौरान प्राप्त सूचना में समन्वय स्थापित करें। पूछतॉछ के मध्य जिस व्यक्ति से पूछतॉछ की जा रही है उसके शारीरिक हरकतों पर भी ध्यान दें।
9— थर्ड डिग्री विधि का प्रयोग न करें।
10— पूछतॉछ का उद्देश्य, सत्य को उजागर करना है न कि उस व्यक्ति को गलती मानने के लिये बाध्य करना।
11— पूछतॉछ का उद्देश्य उसके सहयोगी अपराधियों का पता लगाना भी है।
12— उस अपराध से संबंधित सभी व्यक्तियों और सभी के कार्यो को उजागर करना है।
13— घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान, प्राप्त भौतिक साक्ष्यों के प्रकाश में प्रश्न सूची बनावें व अभियुक्त से उसका अपराध से संबंध स्थापित करने हेतु पूछतॉछ करें।
14— मूर्खतापूर्ण/व्यर्थ प्रश्न न पूछें क्योकि अपराधी को भी समान बुद्धिमान समझें।
15— पूछताछ दो बुद्धियों के बीच संघर्ष है। इसलिये पूछताछ का उचित माध्यम प्रयुक्त करें।
16— पूछताछ के लिये लाया गया व्यक्ति भी एक मानव है। इसलिये उसके मानवाधिकारों की रक्षा करें।
17— उन्हीं प्रश्नों का शामिल करें जिन्हें अपराधी समझ सके।
18— विवेचनाधिकारी को कम बोलना चाहिए और अपराधी को अधिक बोलने देना चाहिए।
19— अपराधी को महसूस करवाना चाहिए कि पूछने वाला व्यक्ति उसके बारे में सब कुछ जानता है।
20— उसे केस से निकालने का झूठा वादा नही करना चाहिए।
21— जब संदिग्ध व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से न दे रहा हो तो सही प्रश्न विभिन्न प्रकार से घुमाफिरा कर पूछना चाहिए।
22— कभी—कभी डर व थर्ड डिग्री के दबाव में संदिग्ध व्यक्ति ऐसी बाते स्वीकार कर लेता है जिससे उसका कोई संबंध नही होता है। ऐसी स्थिति में सत्यता जानने के लिये उससे तार्किक पूछताछ करना चाहिए।
23— अपराधी से उसकी स्वीकारोक्ति संबंधी प्रश्न नही पूछना चाहिए।
24— पूछताछ के समय उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ले ली जाय।
25— बयानों के सत्यता की जानकारी के लिये दूसरे व्यक्ति को तुरन्त ही लगा देना चाहिए।
26— विना समय गवायें अपराध होने के पूर्व व पश्चात् अपराधी की गतिविधियों का सत्यापन करा लेना चाहिए।
27— घटना की तिथि को अपराधी के प्रत्येक क्षण की गतिविधि को संकलित करना चाहिए।
28— उसके टेलीफोन/मोबाइल की काल डिटेल प्राप्त कर लेना चाहिए।

29– अभियुक्त के परिवार के, उसके मालिक के बयान लेकर उनके प्रकाश में अभियुक्त से पूछताछ करें।

30– यदि अपराधी का आपराधिक इतिहास है तो उसके अंगुली चिन्ह लेकर ब्यूरो भेजकर पूर्व सजायाबी ज्ञात कर लेना चाहिए, जिससे 75 भादवि का प्रयोग किया जा सके।

31– अपराधी को अच्छा भोजन देना चाहिए जिससे वह सत्य बताने को बाध्य हो सकें।

32– यदि अपराधी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे सुरक्षा में घटनास्थल पर ले जाकर भौतिक साक्ष्य एकत्र करके उसे उस अपराध में जोड़ने की कार्यवाही की जाय।

33– कभी–कभी आदी अपराधी झूठी सूचना के जरिये प्राप्तकर्ता को उकसाने का प्रयास करते है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

34– पूछताछ का तात्पर्य थर्ड डिग्री विधि नही। बल्कि सत्य को उजागर करने का तरीका है।

35– बच्चों से पूछताछ में काफी सावधानी बरतने के साथ नियमों का पालन करना चाहिए।

36– महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में ही महिलाओं से पूछताछ करनी चाहिए।

37– जाति, धर्म के आधार पर पूछताछ के दौरान किसी को अपमानित न किया जाय।

38– यदि अपराधियों की संख्या अधिक हो तो उन्हें अलग–अलग रखा जाय और आपस में बात करने का अवसर न दिया जाय।

39– यदि अपराधी मन्द बुद्धि हो तो उसकी भावनाओं का उभारें जिससें उससे पूछताछ में आसानी हो।

40– यदि पूछताछ किसी टीम के द्वारा की जा रही हो तो टीम के सदस्यों को अपराधी के समक्ष आपस में विचार विमर्श नही करना चाहिए।

41– अपराधी से पूछताछ के बाद उसके द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन कराने के बाद यदि आवश्यक हो तो पुनः पूछताछ की जाय और दोनों बार दी गयी सूचना का मिलान कर सुनिश्चित किया जाय कि दोनो बार की सूचना में कोई अन्तर तो नही है। यदि अन्तर हो तो उसके संबंध में प्रश्न किये जाय।

4–मुकदमों से संबंधित विशेषज्ञ का मंतब्य प्राप्त करनाः–

घटनास्थल से घटनास्थल को विना डिस्टर्ब किये महत्वपूर्ण साक्ष्यों के लिये वस्तुओं को एकत्रित करें। सावधानी पूर्वक उसको एकत्रित कर विशेषज्ञ के मंतब्य के लिये प्रेषित करें।

- विवेचक की यह जिम्मेदारी है कि वह वस्तुओं को एकत्रित करे और विशेषज्ञ के मंतब्य हेतु भेजे।
- घटनास्थल से वस्तुओं को विना उसके गुणधर्म को परिवर्तित किये एकत्रित करें।
- वस्तओं को अच्छी तरह से पैक करें।
- न्यायालय/पुलिस अधीक्षक के पास समय से इस संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। सेशन ट्रायल वाले मुकदमें में न्यायालय में ही प्रत्यावेदन करें।
- चिन्हित आरक्षी के प्रमाणित हस्ताक्षर के सील मोहर बन्द दशा में वस्तुओं को परीक्षण के लिये भेजें।
- विशेषज्ञ से यह अनुरोध करें कि मुकदमें से संबंधित सम्पत्ति का शीघ्र परीक्षण कर वापस करें।
- परीक्षण हेतु माल भेजते समय यह अवश्य लिखा जाय कि किन–किन बिन्दुओं पर परीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय।

मेडिकल/पोस्टमार्टम रिपोर्टः–

- मेडिकल के लिये किसी घायल को रेफर करते समय साथ जाने वाले पुलिस कर्मी को हिदायत करें कि इलाज करने वाले चिकित्सक का पूर्ण पता ज्ञात करें। जिससे बाद में आवश्यकता पड़ने पर पत्राचार हो सके।
- मेडिकल रिपोर्ट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये होशियार पुलिस कर्मी को लगावें।

- जिन बिन्दुओं पर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी हो उसका उल्लेख अवश्य करें।

5–हत्या की सूचना पर की जाने वाली कार्यवाही एवं विवेचना के लिये चेक लिस्टः–

- यदि घायल व्यक्ति या वादी स्वयं घायल है तो चिकित्सकीय सहायता तत्काल उपलब्ध करवाना।
- घायल की स्थिति गम्भीर है तो उसका मृत्यु कालीक कथन अंकित करना। उसके लिये मजिस्ट्रेट को सूचित करना या विवेचक द्वारा दो साक्षियों के समक्ष बयान अंकित करना।
- घटना की सूचना/एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद तत्काल विवेचना किट/गॉव या स्थान से संबंधित सूचना एवं पर्याप्त पुलिस बल साथ लेकर घटना स्थल पर पहुचॅना।
- घटनास्थल को सुरक्षित करना, तमाशबीनों की भीड़ को नियंत्रित करना व घटनास्थल से पृथक रखना।
- पीड़ित व्यक्ति को भीड़ से अलग ले जाकर सान्त्वना देना और पूरी घटना को याद करने के लिये प्रेरित करना।
- पीड़ित से हड़बड़ाहट में सवाल करने से बचना चाहिए। उसे स्थिर होने के लिये पर्याप्त समय देना चाहिए।
- हत्या का मोटिव ज्ञात करना जैसे पुरानी रंजिश, सम्पत्ति विवाद, दुराचरण, अवैध संबंध, अन्य कोई तात्कालिक कारण की गहराई से छानबीन करना।
- मृतक की पहचॉन करना/विगत 48 घण्टे में मृतक की गतिविधियों के विषय में जानकारी करना। किन–किन व्यक्तियों से मृतक का संबंध था उनसे जानकारी प्राप्त करना/मृतक के पारिवारिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण एवं नक्शा नजरी तैयार करना।
- घटनास्थल के आस–पास बाह्य वस्तुओं/विवेचना से संबंधित भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना। यथा–रक्त रंजित व सादा मिट्टी, चले हुये कारतूस के खोखा, कारतूस, शस्त्र, अभियुक्त के फिंगर प्रिन्ट/फूट प्रिन्ट या अभियुक्त द्वारा छोड़ा गया अन्य कोई सामान कपड़ा, चप्पल आदि।
- घटनास्थल की वीडियों ग्राफी/फोटो ग्राफी करना।
- मृतक अज्ञात की दशा में मृतक की फोटो ग्राफी व फिंगर प्रिन्ट आवश्यक है।
- मृतक के शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण कर शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजना, पंचायतनामा के दौरान ही मृतक के रंक्त रंजित कपड़े को कब्जे में लेकर फर्द तैयार करना।
- साक्ष्य एकत्रित करने वाली टीम, स्वान दल/फारेन्सिक टीम की मदद लेना, स्वान दल को उन स्थानों पर ले जाना जहां मृतक आता–जाता हो।
- चश्मदीद साक्षियों से अलग–अलग पूछताछ कर बयान अंकित करना।
- अपराधियों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीके (Modus operadi) की जानकारी करना, विना सुसंगत तथ्यों के जानकारी के विना घटनास्थल को नहीं छोड़ना चाहिये।
- यदि अभियुक्त नामजद हो तो सर्वप्रथम उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। यदि संदिग्ध वस्तुयें जो हत्या में प्रयुक्त हो सकती है उन्हें जब्त कर लेना चाहिए।
- यदि अभियुक्त नामजद न हो तो उनके द्वारा पहने गये कपड़े, लिये हुये हथियार, बोली, चलने के ढंग, चेहरे की बनावट, चेहरे पर दाढ़ी मूछ, आंख, नॉक, कान, कद, काठी, विशिष्ट चिन्ह इत्यादि जानकारी जो साक्षीगणों से ज्ञात हो नोट करनी चाहिए।
- अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त वाहन के संबंध में जानकारी करना, घटनास्थल के आस–पास वाहन के टायरों के निशान पर ध्यान देना, उनका प्रिन्ट उठाना।
- थाने/जिला पर अपराधियों का फोटो एलबम दिखाकर साक्षियों से पहचान करवाना।

- यदि अभियक्त नामजद है तो आस पड़ोस के व्यक्तियों से उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना यथा–मित्र, रिस्तेदार, सहयोगी, अन्य स्थान जहां छिपे होने की सम्भावना हो ज्ञात करना।
- यदि गिरफ्तारी होती है तो अभियुक्त/अभियुक्तों से अलग–अलग पूछताछ करनी चाहिए जिससे घटना की वास्तविकता ज्ञात हो सके। गिरफ्तारी पर हत्या में प्रयुक्त अस्त्र/शस्त्र की बरामदगी का भरसक प्रयास करना चाहिए।
- यदि अभियुक्त न्यायालय में प्राप्त होता है तो पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लेकर अभियुक्त से पूछताछ करनी चाहिए।
- यदि अपराधी नामजद नही है तो चश्मदीदों से पूछताछ कर पोट्रेट(खाका चित्र) तैयार करवाना चाहिए।
- यदि अभियुक्त दो–तीन दिन तक तलाश करने पर नही मिलता है तो धारा 82/83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के लिये न्यायालय से आदेश प्राप्त करना व उनकी तामील करना।
- अभियुक्त/अभियुक्तों की निशादेही पर बरामद/कब्जे से प्राप्त आलाकत्ल एवं अन्य वस्तुओं की साक्षियों के समक्ष फर्द तैयार करना, बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार करना, गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देना एवं 24 घण्टे के अन्दर न्यायालय में पेश करना।
- विवेचक को प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी व गवाहों के बयान, पंचायतनाम, शव विच्छेदन आख्या का गहराई से अध्ययन करना। जिससे इनमें कोई विरोधाभाष न हो। यदि शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु के बाद के समय, चोटों के प्रकार में कोई अन्तर हो तो शव विच्छेन आख्या तैयार करने वाले चिकित्सक का इस संबंध में बयान अंकित करना।
- यदि मृत्यु का कारण ज्ञात नही हो सका हो या विसरा सुरक्षित रखा हो तो उसे परीक्षण के लिये अविलम्ब भेजना।
- घटनास्थल से प्राप्त वस्तुओं का परीक्षण कराना हो तो अविलम्ब परीक्षण हेतु भेजना। परीक्षण के लिये भेजे गये वस्तुओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या परीक्षण होना है और किस बिन्दु पर रिपोर्ट चाहिए।
- कब्जे में ली गयी सभी रक्त रंजित वस्तुयें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर निम्न तथ्यों की जानकारी करनी चाहिएः–
  1–क्या भेजी गयी सभी वस्तुओं पर मानव रक्त है।
  2–यदि मानव रक्त है तो क्या वह एक ही ग्रुप का है।
  3–क्या रक्त रंजित व सादा मिट्टी एक ही प्रकार की है।
- यदि विष देकर हत्या का मामला हो तो मृत व्यक्ति के लाश के पास उल्टी या झांग आदि प्राप्त हो तो उन्हें सीलबन्द करें, इसका रासायनिक परीक्षण से जहर के विषय मे जानकारी करें।
- यदि जहर से हत्या करने का संदेह हो लेकिन शव का दाह संस्कार कर दिया गया हो तो चितास्थल की राख जब्त करें और परीक्षण करायें। यदि शव को कब्र में दफन कर दिया गया हो तो विधि पूर्वक कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम या कब्र की मिट्टी जो मृतक के पेट के आस–पास हो, का रासायनिक परीक्षण कराना चाहिए।
- अभियुक्त गिरफ्तार हो तो उसके छाप अंगुश्त, पद चिन्ह, पहने गये जूते के चिन्ह की तुलना घटना स्थल से लिये गये चिन्हों से करवना चाहिए।
- यदि हत्या के साथ बलात्कार का मामला भी घटित हुआ हो तो गिरफ्तार व्यक्तियों के चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के साथ–साथ उनके कपड़ों को भी जब्त कर परीक्षण कराना चाहिए।
- यदि मृतक की पहचान न हो सके तो डीसीआरबी/एससीआरबी/एनसीआरबी से भी मृतक की फोटो भेजकर पहचान करवाना चाहिए। अखबारों, रेडियों, दूरदर्शन, केबिल पर भी

प्रचारित–प्रसारित करवाने के साथ पम्पलेटों का फोटो सहित वितरण/चस्पा करवाना चाहिए।

- एससी/एसटी की हत्या की दशा में आर्थिक सहायता हेतु रिपोर्ट प्रेषित करना चाहिए।
- विवेचक द्वारा केस डायरी में कार्यवाही के स्थान व समय अवश्य डालने चाहिए। यदि अभियुक्तों/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास हो तो उसका उल्लेख केस डायरी में करना चाहिए।
- समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर विवेचक द्वारा अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करना चाहिए। आरोप पत्र में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अवश्य लिखना चाहिए।
- आरोप पत्र में गवाहों के वर्तमान पता के साथ स्थायी पता सम्पर्क का नम्बर अवश्य लिखना चाहिए। यदि साक्षी पुलिसकर्मी है तो उनका पद, पीएनओ नं0 व मो0नं0 लिखना चाहिए, ताकि ट्रायल के समय आसानी से तलब किया जा सके।
- यदि हत्या का उद्देश्य मृतक की सम्पत्ति का स्वामित्व अथवा उत्तराधिकार प्राप्त करना हो तो ऐसी सम्पत्ति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मजिस्ट्रेट को आख्या भेजनी चाहिए। नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार अपराधी को अपराध का लाभ नही मिलना चाहिए। हिन्दू एवं मुस्लिम उत्तराधिकार नियमों में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है कि हत्यारा मृतक का उत्तराधिकारी नही हो सकता है।
- साक्षियों को उचित मार्गदर्शन देने के साथ न्यायालय में पेश करना।
- यदि केस में सजा होती है तो उसका मीडिया/प्रेस में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करवाना।

6– वाहन चोरी की विवेचना

वाहन चोरीः– 1– होटल, ढ़ाबा, बार के सामने खड़े वाहन।
2– पूजास्थल के वाहर खड़े वाहन।
3– समारोह स्थल के सामने खड़े वाहन।
4– बैंक या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान,शापिंग माल के सामने खड़े वाहन।
5– बहुमंजिली इमारतों के पार्किग में खड़े वाहन।
6– किसी कम्पाउण्ड में खड़े वाहन।

वाहन चोरी होने पर निम्नांकित तथ्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये

1– इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन का प्रकार, रंग तथा अन्य कोई विशिष्ट जानकारी।
2– वाहन कहां खड़ा किया गया था, लाक लगा था या नहीं लाक सिस्टम किस प्रकार का था।
3– इसकी सूचना तत्काल जनपद नियंत्रण कक्ष को दें, थाने की सीमा तथा अन्य महत्वपूर्ण गुजरने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करवाऍं। उच्चाधिकारियों को सूचित कर जनपद के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चेकिंग प्रारम्भ कराऍं।
4– जनपद नियंत्रण कक्ष द्वारा वाहन चोरी की सूचना आस–पास के जनपदों को तत्काल दी जाय।
5– वादी/वाहन स्वामी को सांत्वना देनें और उससे पूंछतांछ कर घटना की पूर्ण जानकारी लें, गाड़ी में ईंधन की मात्रा, उसकी विशिष्ट जानकारी, लाक के प्रकार, वाहन के पेपर एवं बैंक फाइनेन्सर की जानकारी/डीलर जहां से वाहन खरीदा गया हो, री सेल होने की दशा में पूर्व के विक्रेता से सम्बन्धित जानकारी।
6– वाहन चोरी के घटनास्थल का निरीक्षण एवं आस–पास के लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों से पूंछतांछ कर जानकारी प्राप्त करना/घटना घटित होने के सम्बन्ध में पूंछतांछ कर गहन जानकारी करना।
7– गाड़ी के वर्कशापों तथा पुराना कलपुर्जा बेंचने/खरीदने वालों से जानकारी करना।

8– पूर्व के वाहन चोरी में प्रकाश में आये अपराधियों की तलाश कर अन्य आस–पास के वाहन चोरी एंव उनके किया कलापों की जानकारी प्राप्त करें।

9– वाहन चोरों द्वारा वाहन का निस्तारण अन्य जिलों या दूर ले जाकर किया जाता है, अतः आस–पास के जिलों के वाहन चोरी के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

10– चोरी के वाहन से लूट/हत्या या अन्य प्रकार के अपराध कारित किये जाते हैं, अतः वाहन चोरी के बाद अन्य कोई गंभीर अपराध घटित होता है तो उसमें प्रयुक्त वाहन के विषय में जानकारी करें।

11– वाहन का इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर फैक्स के माध्यम से आर0टी0ओ0 को भेजें।

12– आर0टी0ओ0 कार्यालय से उन ब्यक्तियों के बारे में जानकारी करें, जो वाहनों का क्रय विक्रय करते है। वाहनों के कागजात बनवाते हैं। वाहन को बाहरी जनपदों से स्थानान्तरित कर नम्बर प्राप्त करते है। उन वाहनों में संदिग्ध लगने वाले वाहनों के कागजात की जांच करना।

13– वाहन चोरों/लुटेरों तथा अन्य अपराधी जो हाल में जेल से जमानत पर छूटे हों पर विशेष नजर रखना।

14– समय–समय पर स्थान एवं समय बदल कर चेकिंग एवं गांव या कस्बा के लोगों को विभिन्न प्रकार के वाहन चोरी के घटना के विषय में बताना व सचेत करना।

15– यदि लावारिस वाहन बरामद होता है तो तुरन्त उस वाहन कम्पनी से उसके मालिक के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

16– यदि वाहन के नम्बर मिटे हों तो विशेषज्ञ के पास भेज कर इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर का पता लगाना।

17– चोरी के वाहन की बरामदगी पर अथवा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर यदि फर्जी कागजात प्राप्त होते हैं तो तत्काल इस रैकेट में लगें आरटीओ कार्यालय के कर्मियों एवं दलालों के विरूद्ध कार्यवाही करें।

18– वाहन चोरी के विवेचना के दौरान बरामद वाहन की फर्द तैयार करें एवं विवरण केस डायरी में अंकित करें।

19– वाहन चोरी के विवेचना के दौरान यदि अभियुक्त अन्य घटनाओं के विषय में बताता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित थाना/जनपद को अवश्य दे।

20– विवेचना शीघ्र पूर्ण कर आरोप पत्र प्रस्तुत करें यदि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास या सजायाबी हो तो उसका उल्लेख केस डायरी/आरोप पत्र में अवश्य करें।

7–दुर्घटना कर भागने वाले वाहनों से संबंधित मुकदमों की जॉचः–

उद्देष्यः– दुर्घटना कर भागने वाले वाहनों से संबंधित मुकदमों की व्यवस्थित तरीके से विवेचना करना तथा दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन की पहचान स्थापित करना।

परिभाषाः– घायल व्यक्ति को तत्काल जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराना तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन की पहचान करना।

प्रक्रियाः–

- कार्ययोजना बनाकर पर्यवेक्षण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करें।
- दुर्घटना के पक्ष तथा विपक्ष का जिक्र करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करें तथा उस पर वादी का हस्ताक्षर करायें।
- घटनास्थल पर तत्काल पहुचें। अगर सूचना दूरभाष द्वारा प्राप्त हुई है तो अनावश्यक बात न करके घटनास्थल की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल पर जाय तथा पेट्रोल कार, नजदीकी थाना व अन्य मोबाइलों को तुरन्त सूचित करें।
- घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जैसेः–स्किड मार्कस, संदेहास्पद वाहन का रंग, हेड लाइट आदि के टूटे टुकड़े आदि एकत्र करें।
- सभी साक्ष्यों का जिक्र करते हुए केश डायरी अंकित करें।
- घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 भेजें।

- यातायात जाम होने पर उसको सुचारू करने की व्यवस्था करें।
- दुर्घटना का व्यापक प्रचार करें तथा क्षेत्र के डी0सी0एम0, आंटो, ट्रक मालिकों से सम्पर्क कर दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन का पता करें।
- पीड़ित व्यक्ति की सहायता से वाहन का पता लगाये। वादी व घायल से पूछताछ के दौरान व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सहयोगात्मक तथा मित्रवत रहना चाहिए।
- आ0टी0ओ0 आफिस से दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर देकर प्रमाणित करायें तथा वाहन स्वामी से चालक के संबंध में जानकारी करें।
- सभी चेक पोस्ट से बराबर संबंध रखें तथा उस सड़क से गुजरने वाले ट्रकों, बसों व अन्य वाहनों को चेक करें।
- यह जानने का प्रयास करें कि चालक क्या नशे में था, घायल क्या सही दिशा में था। दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की कोई खास बात हो तो जानने की कोशिश करना।
- घायल/वादी को विश्वास में लें तथा उससे बराबर सम्पर्क रखें।
- आस–पास के अस्पतालों में पता लगायें जहां घायल प्रतिवादी इलाज कराया हो।
- घटनास्थल के आस–पास बने टी स्टाल, पान स्टाल, वाहन स्टैण्ड, पेट्रोल पम्प, एसटीडी बूथ तथा हाईवे ढ़ाबों से बराबर सम्पर्क रखें।
- चस्मदीद साक्षियों का बयान लेकर बयान केश डायरी में अंकित करें।
- पीड़ित/घायल को आर्थिक सहायता दिलाये जाने हेतु तत्काल सभी सुसंगत प्रपत्रों सहित एक माह के अन्दर आख्या प्रेषित की जाय। भले ही वाहन अज्ञात हो।

जब गाड़ी का पता चल जाये निम्न कार्यवाही करें:–

- वाहन स्वामी को बुलाकर दुर्घटना व चालक के संबंध में जानकारी लें।
- जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उसके सभी पेपर तथा ड्राइबर का ड्राइविंग लाईसेन्स कब्जे में लें तथा उसकी कापी पीड़ित/घायल व्यक्ति को उपलब्ध करा दें।
- प्रतिवादी का बयान लिखें तथा उसके द्वारा अपनी रक्षा में दिये गये प्रमाण एकत्रित कर लें।
- वादी/पीड़ित को फार्म नं0 54 भरकर बीमा लाभ दिलाने में मदद करें।
- केश डायरी का परीक्षण कर अभियोजन के पक्ष या विपक्ष जो भी हो अंतिम रिपोर्ट तैयार कर पर्यवेक्षण अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें।

8–सड़क दुर्घटना केषों के विवेचना की सामान्य मानक प्रकियाः–

उद्देष्यः– सड़क दुर्घटना की व्यवस्थिति विवेचना के साथ ही पीड़ित के जीवन रक्षा हेतु उपाय करते हुये लापरवाही एवं तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को कानून के अनुसार दण्डित कराना।

प्रभाव क्षेत्रः– समस्त थानान्तर्गत।

परिभाषाः– दुर्घटना से पीड़ित के जीवन रक्षा का त्वरित उपाय करते हुये वैज्ञानिक विधि की सहायता से व्यवस्थित विवेचना करना।

तरीकाः– प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त को नामजद करना जबकि दुर्घटना कारित गाड़ी घटनास्थल पर मौजूद हो। कार्यवाही का खाका खीचना तथा उच्चाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।

त्वरित प्रकियाः–

1. विना किसी विलम्ब के घटनास्थल पर पहुचे।
2. यदि सूचना दूरभाष से प्राप्त हुई है तो स्थान के बारे में जानकारी करके तुरन्त घटनास्थल पर पहुचें।
3. पेट्रोल कार व फील्ड यूनिट को तुरन्त घटनास्थल पर बुलायें।
4. जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जब घटनास्थल पर चलना हो तो प्राथमिक उपचार बाक्स साथ रखें तथा एम्बुलेन्स को सावधान करें जो निकटतम हो। पीड़ित की जीवन रक्षा प्रथम कर्तब्य है।

1. घायल को तुरन्त नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु भेजे।
2. आवश्यकता पड़ने पर ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था करायें।
3. घायल के बारे में जानकारी एकत्र कर उसके परिजनों को सुचित करें।
4. घातक दुर्घटना में मृतक के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसके घर वालों को सूचना दें। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करें तथा नक्शा नजरी तैयार करें। दो वाहनों के टक्कर में सबूत इकट्ठा करें कि किसकी गलती है। जाम की स्थिति में अपराधिक वाहन को घटनास्थल से तुरन्त हटवायें जिससे आम जनता को परेशानी न हो। घटनास्थल की फोटो ग्राफी अवश्य करा लें।
    - घातक दुर्घटना की स्थिति में मृतक के शरीर को घटनास्थल से हटाकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आने–जाने वाले अधिकतम लोग देख सकें तथा घटना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा सके। पंचायतनामा व पोस्ट मार्टम हेतु व्यवस्था करें।
    - गवाह, पीड़ित तथा पीड़ित के परिजनों के बयान अंकित करें।
    - केश डायरी का प्रथम पर्चा में कार्ययोजना व छूटे तथ्यों में समन्वय स्थापित करते हुये प्रविष्टि करें।
    - अपराध में प्रयुक्त वाहन का एम0वी0आई0 निरीक्षण करें।
    - अभियुक्त को गिरफ्तार करें।
    - आपराधिक न्याय व्यवस्था के अनुसार अभियुक्त का पक्ष जानने हेतु उसका बयान अंकित करें।
    - अभियुक्त के पक्ष की काट हेतु साक्ष्य एकत्रित करें।
    - समयी शहादत व वाहन के मालिक का परीक्षण करें तथा दौरा विवरण, एस0आर0, फिटनेस, बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र व ड्राईविंग लाईसेन्स कब्जे में लें।
    - अपराध में प्रयुक्त वाहन के कागजों का सत्यापन करें।
    - स्थिति अनुसार अपराध में प्रयुक्त वाहन को अधिग्रहित कर न्यायालय को अवगत करायें।
    - दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का ए0आर0एन0/एच0सी0एम0टी0 से टेक्निकल रिपोर्ट प्राप्त करें।
    - बड़े वाहन के विरूद्ध केश पंजीकरण करने की प्रवित्ति है। घटनास्थल पर दोष की सत्यता स्थापित करके विवेचना करें।
    - चिकित्सकीय/एम0बी0आई0 रिपोर्ट प्राप्त करें व शासकीय अधिवक्ता द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र दाखिल करें।
    - प्रभावित परिवार को मोटर वाहन अधि0 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों जैसे क्षतिपूर्ति से अवगत करावें तथा फार्म 54 भरने में मदद करें एवं उसे वाहन दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें।
    - यदि वाहन चालक के पास लाईसेन्स न हो तो वाहन स्वामी व चालक के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट की धारायें लगावें।
    - यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन न हुआ हो तो एम0वी0 एक्ट की धारा लगावें।
    - घातक दुर्घटना के मामले में ड्राईविंग लाईसेन्स का अधिग्रहण कर उसे निरस्त कराये जाने हेतु लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को प्रेषित करने के स्थान पर न्यायालय में जमा करावें।

9–साधारण चोरी की विवेचना में सामान्य मानक प्रकियाः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करना।
2. घटित अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी करना जैसे–छीनना, वाहन चोरी, जेब कटी, मवेशी चोरी, साईकिल चोरी व खुले दरवाजे से घर/दुकान में चोरी आदि।
3. वादी को सान्त्वना देना, न कि ऐसे प्रश्न करना जो उसकी भावना को ठेस पहुचायें।
4. वादी का उत्साह बर्धन करना कि उसकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा।
5. समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करना तथा उसकी प्रति वादी को उपलब्ध कराना।
6. विवेचना की कार्ययोजना तैयार कर पर्यवेक्षण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना।
7. घटनास्थल पर तत्काल रवाना होना।
8. घटित घटना के घर वालों को घटनास्थल डिस्टर्ब न करने की सलाह देना।
9. फील्ड यूनिट (फोरेन्सिक टीम) व स्वान दल को सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाना।
10. घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करना एवं Modus Oprandi की जानकारी प्राप्त करना।
11. दो साक्षियों के सामने विस्तृत फर्द तैयार करके संदेहास्पद वस्तुओं की सूची तैयार कर कब्जे में लेना तथा काइम डिटेल फार्म भरना।
12. केश डायरी लिखते समय कार्ययोजना का विस्तृत चित्रण करना तथा नक्शा नजरी तैयार करना।
13. उस क्षेत्र के क्रिमिनल हेड के अभियुक्तों की सूची तैयार करना तथा जो उन धाराओं के अभियुक्त न्यायिक प्रकिया से गुजर रहे हो उन पर अधिक गौर करना।
14. साक्षियों के बयान लेना।
15. विशेष टीम गठित कर क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये लगाना चाहिए। उन्हें यह निर्देशित करना चाहिए कि वह उक्त घटना से संबंधित विभन्न सूत्रों की सूचनायें एकत्र करें।
16. चोरी का सामान क्रय विक्रय करने वालों के यहां निगरानी करवायें।
17. सीमावर्ती थानों से सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
18. जेल से संबंधित अपराधियों की सूची प्राप्त करना तथा हाल में जेल से छूटे अभियुक्तों की संलिप्तता/गतिविधि ज्ञात करना।
19. प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की व्यवस्था करना।
20. गश्त पार्टियों में फेर बदल करना।
21. सम्भावित स्थानों पर वाहन चेकिंग कराना।
22. ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों से सम्पर्क बनाये रखें।
23. शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों के अपराध करने के तरीके का प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करना।
24. अज्ञात अपराधों का खुलना ज्ञात अपराधों की तुलना में विवेचक की बुद्धिमत्ता प्रमाणित करती है।
25. अज्ञात अपराधों का हर दशा में अनावरण किया जाय।
26. पड़ोसियों से पता लगाया जाय कि कोई अजनवी व्यक्ति तो नही दिखायी पड़ा था या किसी बाहरी व्यक्ति का कई दिन से आना–जाना तो नही था।
27. कभी–कभी घर वाले ही अपनी वेजा आदत के कारण स्वयं अपराध घटित कर लेते है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है।
28. कभी–कभी कोई व्यक्ति अधिक कर्ज में डूबे होने के कारण इस तरह की सूचना अंकित कराना चाहता है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है।
29. वादी से सम्पर्क बनाये रखना तथा उसे बताना कि हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है तथा प्रगति की जानकारी दें।

30. जेल से छूटे अपराधियों से सम्पर्क कर उन्हें विश्वास में लेकर मुखबिर के तौर पर प्रयोग में लाना।
31. स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अपराधियों को समझा बुझा कर अपराध से दूर रखना।
32. बाल अपराधियों को उनके अविभावकों के साथ समझाना बुझाना।
33. वहन चोरी व छीनने की घटना में विशिष्ट स्थानों पर वाहनों की चेकिंग कराना, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना।
34. विधि विज्ञान साक्ष्यों का प्रयोग करना।
35. अपराधी की गिरफ्तारी के बाद व्यवस्थित पूछताछ कर डोजियर तैयार करना।
36. अपराधी के विरूद्ध आवश्यक साक्ष्य जुटाना।
37. चोरी की सम्पत्ति को अपराधी की निशादेही पर दो साक्षियों के समक्ष बरामद करना। फर्द बनाकर कब्जे में लेना तथा उसकी कार्यवाही शिनाख्त कराना।
38. यदि सम्पत्ति रखने वाला आदतन अपराधी है तो उसका भी धारा 411 भादवि में चालान करें।
39. मुख्य अपराधी के माध्यम से सहयोगी अपराधियों का पता लगायें और उनकी संलिप्तता निर्धारित करें।
40. गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करें।
41. अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल में दाखिल करें।
42. यदि अपराधी किन्ही अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार करता है तो तत्काल संबंधित थाने को सूचना दें तथा पी0टी0 वारण्ट दाखिल करें।
43. छिनैती/लूट/डकैती के मामलें में अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त अविलम्ब करावें।
44. घटनास्थल से मिले अंगुली चिन्हों को प्राप्त कर संदिग्ध/अभियुक्त के अंगुली चिन्ह का नमूना लेकर मिलान करावें।
45. यदि अपराध किसी गैंग द्वारा किया गया है तो गैंग रजिर्स्टड करावें।
46. यदि आदी अपराधी है तो हिस्ट्रीशीट खोलवायें।
47. चार्जशीट शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय भेजें।
48. यदि अपराधी आदतन है तो धारा 75 भादवि भी लगावें।

10–खोये हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाः–

उद्देष्यः– खोये हुए व्यक्तियों से संबंधित मुकदमों के निस्तारण की कार्यप्रणाली, सूचनाओं को प्राप्त करना, और पीड़ित ब्यक्तियों से सहानुभूति एवं आत्म विश्वास पैदा करना तथा खोये हुये ब्यक्तियों को ढूंढ़ना।

उत्तरदायित्वः–थाना प्रभारी का उत्तरदायित्व है कि कार्ययोजना का प्रारूप तैयार करायें, उसका पर्यवेक्षण करें, प्रशिक्षित करायें तथा नियमों का पालन करायें।

परिभाषाः– खोये हुए व्यक्तियों से संबंधित मुकदमों का वैज्ञानिक तरीके से खुलासा करना तथा पीड़ित व्यक्तियों का राहत पहुचाना।

तरीकाः–

1. वादी से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना।
2. वादी को बैठाकर अपनत्व की भावना से उसमें आत्म विश्वास पैदा करना।
3. खोये हुए व्यक्ति के माता–पिता व परिजन मानसिक रूप से व्यथित, उग्र व तनाव ग्रस्त होते है। उन्हें परेशान न कर मानवता का व्यवहार करना।
4. लिखने के लिये सादा पेपर व कलम उपलब्ध कराना।
5. यदि वह लिखना नही जानते है तो उन्हें वापस न करें। उनके मौखिक बयान को स्वयं लिखें और हस्ताक्षर बनवा लें।
6. अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर अपमानित न करें जैसे–तुम्हारी बेटी नाबालिक है, क्या किसी से उसका नाजायज संबंध था, तुमने अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नही दी, सही परवरिश

नही की, तुम बहुत लापरवाह हों, तुम सोचते हो कि पुलिस केवल तुम्हारे बच्चो को ढुढने के लिये है, तुम खुद जाकर ढूढो, हमारे पास बहुत काम है आदि।

सूचना में आवष्यक बिन्दुओं को शामिल करनाः–

1. गुमशुदा का नाम (स्त्री, पुरूष, बालक, बालिका)
2. उम्र
3. ऊॅचाई और बनावट
4. अपंगता या विशेष बनावट
5. भाषा जो जानता हो
6. पहने हुये कपड़े जिस समय घर छोड़ा हो
7. दिनांकः, समय, स्थान जब अन्तिम बार देखा गया हो
8. ऐसे स्थानों की जानकारी जहां गुमशुदा अक्सर जाता–आता हो
9. उन व्यक्तियों के नाम पता जिनके पास गुमशुदा अक्सर जाता–आता हो
10. संबंधियों के नाम पता
11. गुमशुदा के दोस्तों का नाम पता
12. कोई ऐसी बात यथा–परिक्षा में अच्छे नम्बर न लाना, पढ़ाई में मन न लगना, परिवार के लोगों द्वारा सख्ती से पेश आना
13. खोये हुये व्यक्ति का फोटोग्राफ प्राप्त करना
14. मददगारों का विवरण एवं उनके नाम पते ज्ञात करना

कार्यवाहीः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी करना।
2. सभी को सूचना प्रसारित करने हेतु तत्काल जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करना।
3. फाटोग्राफ सहित पम्पलेट वितरित कराना।
4. डीसीआरबी/एससीआरबी/एनसीआरबी को फोटो/विवरण सहित सूचना भेजना।
5. रेडियों/दूरदर्शन/केबल टी0वी0 को प्रसारण हेतु फोटोग्राफ सहित सूचना भेजना।
6. समाचार पत्रों में फोटो सहित गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचना प्रकाशित कराना।
7. वादी व अन्य गवाहों से पूछताछ करना।
8. वादी के साथ एक आरक्षी को तैनात कर उन सभी स्थानों पर भेजना जहां गुमशुदा के मिलने की सम्भावनायें हो।
9. वादी का सदैव आत्मविश्वास बनाये रखना।
10. संदिग्ध मामले में (जबकि किसी लड़की के खोने की सूचना हो) जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा हो उसका पता लगाकर उससे पूछताछ करना।
11. कुछ मामलों में गुमशुदा बालिग होते है और वह घर छोड़कर शादी की लेते है और टेलीग्राम, पत्र, दूरभाष यन्त्र से सूचना दे देते है। माता–पिता उनके अपहरण/खोने का आरोप लगाते है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंकित किया जाय और गुमशुदा के आने/मिलने पर विधिक कार्यवाही के बाद उसे निस्तारित कर दिया जाय।
12. सीमावर्ती जनपदों, जनपद के अन्दर प्राप्त अज्ञात शवों के हुलिया को खोये हुए व्यक्ति से मिलान करें।
13. सीमावर्ती जनपदों, जनपद के अन्दर अनाथालयों में भी तलाश करायें।
14. सीमावर्ती जनपदों/जनपद के कारागार में भी पता लगायें।
15. प्रस्तावित अवधि में सामान्य तौर से एक आरक्षी को तैनात करना चाहिए जो आस–पास के अस्पतालों में पता लगाये कि गुमशुदा कही भर्ती तो नही है।
16. गुमशुदा का मुकदमा गम्भीर रूप भी धारण कर सकता है जैसेः–उसकी हत्या होना, अपहरण किया जाना। अतः ऐसे मुकदमों की विवेचना में पूर्व सतर्कता/सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दशा में लापरवाही या शिथिलता न बरती जाय। गुमशुदा की तलाश का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

17. शीघ्र पता लगाने हेतु ऐसे व्यक्ति पर सामाजिक दबाव डलवाना चाहिए जिस पर खोये हुए व्यक्ति की खोने की जिम्मदारी हो।

11–खोये हुए व्यक्तियों के संबंध में मानकः–

थाने का नामः जिलाः

अ0सं0ः धाराः

तारीख घटनाः तारीख सूचनाः

1. खोये हुये व्यक्ति का विवरणः–

❖ खोये हुये व्यक्ति का नाम व पता

❖ लिंग (पुरूष/स्त्री) उम्रः

❖ बनावट (चेहरे का)

❖ तिल/कटे, फटे का निशान

❖ बोली/भाषा

❖ चेहरा, ऑख, कान, नाक, कद, बाल, दाढ़ी, मूछ जो भी हो

❖ पहनावा

❖ अपंगता

❖ गूंगा बहरा है

❖ घर कब छोड़ा

❖ घर छोड़ने की क्या परिस्थितियां थी

❖ उसके शौक क्या है

❖ आदतें

2. क्या साईबर कन्ट्रोल कार्यालय को सूचना दी गयी।
3. क्या पड़ोसी थानों/जनपदों का सूचना दी गयी।
4. क्या विज्ञापन हेतु प्रपत्र तैयार किया गया।
5. सूचनायें प्रसारित की गयी या नही।
6. क्या गवाहों से पूछताछ की गयी।
7. क्या अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया।
8. क्या बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व महत्वपूर्ण स्थानों पर खोये हुये व्यक्ति से संबंधित विज्ञापन चस्पा किया गया।
9. क्या विज्ञापन को देखने हेतु कोई विशेष दल भेजा गया।
10. खोये हुए व्यक्ति के मिलने पर :–
    - खोया हुआ व्यक्ति कहां गया था।
    - खोये हुए व्यक्ति ने अपना बयान दिया या नही।
    - घर छोड़ने का कारण।
    - खोया हुआ व्यक्ति कब लौटा।
11. क्या वादी द्वारा पुनः शिकायत की गयी या नही।
12. क्या वादी को नोटिस तामिल की गयी या नही।

यदि खोया हुआ व्यक्ति अभी तक वापस नही आया, उसका पता नही चलाः–

- क्या गजट में प्रकाशन हेतु पत्र भेजा गया।
- क्या वादी को नोटिस तामील किया गया।
- क्या अस्वभाविक मृत्यु के मामले में प्रस्ताव अग्रसारित किया गया।

12—अज्ञात मृत का शव पाये जाने पर कार्यवाहीः—

1— शिकायत/प्र0सू0रिपोर्ट प्राप्त कराना।
2— मृतक के शरीर के दृश्य चोटों के आधार पर मुकदमों का पंजीकरण करना(धारा 302, 201भादवि)
3— घटनास्थल का निरीक्षण।
4— मृतक के शरीर का निरीक्षण।
5— मृतक के शारी की फोटोग्राफी व घटनास्थल की फोटोग्राफी। एवं अंगुलियों की छाप ली जाय।
6— मृतक शरीर पुरूष/महिला का है।
7— मृतक का धर्म क्या है।
8— उम्र, लम्बाई, बाल, आंख, नाक, कान, दाढ़ी, मूंछ, रंग(विस्तृत हुलिया)
9— मृत शरीर में पहने कोई माला,ताबीज,लाकेट आदि।
10— जलने,कटे,फटे,पुराने निशान, गोदना, तिल आदि का निशान।
11— शरीर में अन्य कोई विकृति, शरीर पर धारण की गयी अन्य वस्तुऍ।
12— पहने गये वस्त्र का विवरण, कपड़े का मार्क, टेलर का लेबल आदि।
13— मृतक के शरीर पर मौजूद चोट, महिला का शव होने पर महिला द्वारा ही कराया जाय,
14— शर्म हया का ध्यान रखते हुये मृत शरीर के प्राइवेट पार्ट का निरीक्षण किया/कराया जाना चाहिये।
15— मृतक के पाकेट में परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड, फोटो, डायरी, मोवाइल, रेल—बस का टिकट/पास आदि की तलाश।
16— घटनास्थल के 100 मीटर के दायरे में महत्वपूर्ण संदिग्ध वस्तुओं की खोज करना।
17— श्वान दल एवं फील्ड युनिट दल की मदद लेना।
18— आस पास के ग्रामीणों एवं राहगीरों से शव की पहचान कराना।
19— शव का पंचायतनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजना।
20— घटनास्थल से सादा/रक्तरंजित मिट्टी आदि लेकर फर्द तैयार करना।
21— पोस्टमार्टम के दौरान उतको(टिशूज)लम्बी हड्डी(लांग बोन्स)खेपड़ी(स्कल)इत्यादि को डीएनए, फिंगर प्रिन्ट एवं सुपर इम्पोजिसन को सुरक्षित रखना।
22— अज्ञात मृतक के सम्बन्ध में जानकारी अन्य जनपदों/डीसीआरवी/एससीआरबी/एनसीआरबी को भेजना।
23— फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना न्युज चैनलों से प्रसारित कराना।
24— रेलवे, बस स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर चस्पा करवाना।
25— सरकारी गजट में प्रकाशन कराना।

यदि शव की पहचान हो जाती है तो कार्यवाहीः—

1— मृतक के परिजनों को तत्काल सूचना देना।
2— मृतक के परिजनों से मोटिव ज्ञात करना।
3— विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रक्त का नमूना परीक्षण के लिये भेजना।
4— संदिग्ध अपराधी की पहचान करना, उसके घर एवं छिपने के संभावित स्थानों पर दविश/तलाशी लेना, मिलने वाली संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे में लेना। संदिग्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में पूंछ—तॉछ करना।
5— संदिग्ध के पूंछ—तॉछ पर अन्य अभियुक्त का पता लगता है तो उसके विषय में जानकारी करते हुये उसका भी बयान अंकित करना।
6— यदि घटना में कोई शस्त्र प्रयुक्त हुआ हो तो उसको बरामद करने का प्रयास करना।
7— एक्ट्रा जुडिशियल कन्फ्रेशन के सम्बन्ध में यदि कोई देने वाला हो तो उसको भी तलाश कर बयान अंकित करना।

8— साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने, अभियुक्तों के एकत्रित होने, एकमत होकर घटना कारित करने के लिये घटनास्थल पर जाने के प्रमाणित साक्ष्य होने पर अभियुक्त/अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें।
9— साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट प्रेषित करें।
10— अभियुक्तों का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास हो तो केसडायरी व चार्जशीट में उल्लेख करें।

13—जाली मुद्रा के सम्बन्ध में:—

1— जाली नोटों का प्रचलन प्रायः छोटे दुकानदारों, सब्जी बेंचने, परचून की दुकान, शराब की दुकान, कबाड़ी, चोरी का माल खरीदने वालों के यहां किया जाता है। इन दशाओं में दुकानदार पर ही ज्यादा सन्देह की संभावना रहती है।
2— प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें तथा जाली मुद्रा के सम्बन्ध में सूचना विकसित करें।
3— जो जाली मुद्रा वादी/पीड़ित द्वारा दी गयी है उसे दो साक्षियों के सामने मेमो बना कर एफ0आई0आर0 के साथ कोर्ट में प्रेषित करें।
4— साक्षियों के बयान अंकित करें।
5— उच्चाधिकारियों की अनुमति से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6— अभियुक्त का बयान अंकित करें, उससे जाली मुद्रा बनाने/सप्लाई करने वाले के बारे में पूंछें।
7— दो सरकारी गवाहों को तलब करें, उनको साथ लेकर उनकी उपस्थिति में अभियुक्त एवं उसके घर/छिपने के स्थान की तलाशी लें।
8— जाली नोट बनाने के सभी उपकरण यथा—कम्प्यूटर, स्केनर, कलर फोटो कापीयर्स, कलर प्रिन्टर, आदि हों तो उसे सीज करें, उस सीज की फर्द तैयार करें।
9— यदि कोई बनी/अधबनी जाली मुद्रा हो तो उसको भी सीज कर फर्द तैयार करें।
10— मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास करें। पूंछतांछ कर पूरे गैंग के बारे में पता करें।
11— अन्य जिलों को भी अभियुक्तों द्वारा उन जिलों में किये गये अपराधों/निवास स्थान आदि की जानकारी दें।
12— बरामद जाली मुद्रा की जांच आरबीआई के माध्यम से कराएँ।
13— साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र /केस डायरी न्यायालय को भेजें।
14— अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास हो तो उसका विवरण केसडायरी व आरोप पत्र में अंकित करें।
15— अभियुक्त की पूंछतॉछ आख्या तैयार कर डोजियर तैयार कराये, गैंग रजिस्टर्ड करायें, हिस्ट्रीशीट खोलवाएँ तथा एनएसए की कार्यवाही करायें।

14—ब्यपहरण/अपहरण

1— छोटे बच्चों का भीख मांगने के लिये अपहरण— धारा 363ए भादवि।
2— हत्या करने के लिये अपहरण—धारा 364 भादवि।
3— विवाह हेतु अपहरण— धारा 366 भादवि।
4— फिरौती की रकम प्राप्त करने के लिये अपहरण—धारा 364ए भादवि।

कार्यवाही:—

1— प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें,
2— कार्यवाही की रूपरेखा तैयार कर उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें।
3— घटना से सम्बन्धित सूचना में इन तथ्यों का ध्यान दें— पीड़ित की उम्र, उसकी पृष्ठभूमि, उसके माता—पिता तथा रिस्तेदारों के विषय में जानकारी करें।
4— क्या अपहरणकर्ता पहले से जानने वाले है? अपरण करर्ताओं की मांग क्या है?
5— अपहरणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त वाहन।

6— अपहरण घर से किया गया, वाजार से किया गया, स्कूल से किया गया, रास्ते से किया गया।
7— अपहरणकर्ता एवं पीड़ित/पीड़िता के बीच कोई सम्बन्ध।
8— किसी ब्यक्ति से किसी प्रकार की दुश्मनी हो।
9— घटनास्थल के आस पास के किसी नें क्या वाहन का नम्बर नोट किया है। यदि हॉ तो जानकारी करें।
10— यदि टेलीफोन से सूचना आती है तो कालर आईडी लगायें, टेलीफोन एक्सचेन्ज से काल डिटेल प्राप्त करें।
11— अपहरण कर्ताओं से निपटने के लिये प्रत्येक सूचना पर निपटने में विशेष सतर्कता आवश्यक है, अन्यथा वे घबरा कर, डरकर अपहृत को मार सकते है/नुकसान पहुंचा सकते है।
12— प्रत्येक कार्यवाही सोच—विचार कर उच्चाधिकारियों के उचित मार्गदर्शन में की जानकी चाहिये।
13— अपहृत/अपहृता के परिवार से हमेशा सम्पर्क में रहें, प्राप्त नई जानकारियों की समीक्षा करें, कार्यवाही के सम्बन्ध में उन्हें अवगत कराते रहें।
14— अभियुक्त/अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपहृत/अपहृता की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करें।
15— पीड़ित/पीड़िता को बराबर सान्त्वना देते रहें, क्योकि अपराधियों में चंगुल में रहने के कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब हालत में होगी।
16— पीड़ित/पीड़िता में यह विश्वास पैदा करें कि वह सुरक्षित है, उसके उपरान्त घटना के सम्बन्ध मे उसका बयान अंकित करें।
17— पीड़ित/पीड़िता के बयान के उपरान्त उसके रहने के स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त करें। रहने के स्थान की जानकारी करें तथा उसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें।
18— पीड़ित/पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी करावें। पीड़िता के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में भी मेडिकल करायें।
19— पीड़ित/पीड़िता का धारा 164 जा0फौ0 में न्यायालय में बयान दर्ज करावें।
20— कभीं कभी बच्चे गायब हो जाते है, उनके माता—पिता अपहरण की बात बताते हैं, जबकि लौटने के बाद बच्चा बताता है कि वह अमुक स्थान पर चला गया था, इसकी गहराई से जॉच करें।
21— पीड़ित/पीड़िता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय के आदेशानुसार उचित ब्यक्ति की सुपुर्दगी में देकर सुपुर्दगीनामा तैयार करें।
22— अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद साक्ष्यों का परीक्षण कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करें।
23— अपहृत/अपहृता की बरामदगी न होने पर आरोप पत्र प्रेषित करने पर विषम स्थिति पैदा हो सकती है, इस ओर ध्यान दिया जाय। अभियुक्त न्यायालय में पीड़ित/पीड़िता की बरामदगी कर प्रस्तुत करने का दबाव डाल सकता है।
24— अभियुक्त/अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास हो तो उसका उल्लेख केसडायरी व आरोप पत्र में अवश्य करें।

15— बलवा के सम्बन्ध में कार्यवाही

कारणः—

भूमि विवाद, पारिरवारिक विवाद, पुरानी दुश्मनी, राजनैतिक वर्चस्व, विघटन, वित्तीय विवाद, माफिया/गैंग का विवाद, क्षेत्र में बरचस्व का विवाद, सम्प्रदायित विवाद, जातिगत विवाद, आदि।

कार्यवाहीः—

1— सूचना मिलने पर विना एफआईआर का इन्तजार किये तत्काल मौके पर पहुंचे।
2— घटनास्थल को पुलिसबल लगा कर सुरक्षित करें। घटना के कारणों का पता लगायें, उसका विश्लेषण करें, घटना के दिनांक/समय का पता लगायें। अभियुक्तों, प्रयुक्त शस्त्रों,

मृतकों/घायलों का पता लगायें। घायलों व अभियुक्तों से उनके सम्बन्ध की जानकारी करें।

3— जानकारी के आधार पर उचित धारा का प्रयोग करें, यदि अभियुक्त आदी अपराधी हैं तो उसके अनुसार धारा का प्रयोग करें।

4— घटना की पुनरावृत्ति को रोकने का सार्थक प्रयास करें।

5— अधिकतम पुलिसबल टास्क देकर काम पर लगावें ताकि अधिकतम सूचना मिल सके।

6— पीड़ित/घायलों को तत्काल उपचार हेतु भेजें।

7— पीड़ितों को सान्त्वना दें, अधिक सवाल जवाब न करें। स्वस्थ होने पर विस्तृत पूंछतांछ करें।

8— विवेचना/कार्यवाही की कार्ययोजना तैयार करें, उच्चाधिकारियों से उसका अनुमोदन प्राप्त करें।

9— घटनास्थल पर संदिग्ध वस्तुओं को खोजें।

10— फुटप्रिन्ट व अंगुलियों का चिन्ह खोजें, मिलने पर उसकी छाप लेकर सुरक्षित करें।

11— घटनास्थल की वीडियो/फोटोग्राफी करायें।

12— श्वान दल एवं फील्डयुनिट को मौके पर बुला कर उनका उपयोग करते हुये उनकी आख्या प्राप्त करें।

13— अभियुक्तों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करें।

14— घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर घटना के साक्षियों एवं आस पास के लोगों के बयान अंकित करें।

15— पीड़ित/घायलों के रक्तरंजित कपड़ों, रक्तरंजित मिट्टी/सादा मिट्टी आदि कब्जे में लेकर फर्द तैयार करें।

16— घायलों की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर विवेचना में शामिल करें।

17— घटनास्थल का नक्शानजरी बनावें तथा प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किये गये क्रियाकलापों का चार्ट तैयार करें।

18— यथा आवश्यक साक्षियों का धारा 164 जा0फौ0 में बयान दर्ज करावें।

19— साक्षियों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें, यदि संभव हो तो घटना में प्रयुक्त अस्त्र—शस्त्र एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बरामदगी करें।

20— कब्जे में लिये गये रक्तरंजित माल एवं बरामद शस्त्र आदि परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजें।

21— पीड़ित पक्ष को समय समय पर कार्यवाही से अवगत करावें।

22— पुनः घटना न हो इसके लिये मौके पर शान्ति कायम होने तक पर्याप्त पुलिसबल लगावें।

23— शान्ति समिति की बैठक कर लोगों में विश्वास पैदा करें, उन्हें स्थिति सामान्य करने तथा घटना की पुनरवृत्ति को रोकने के कार्य में लगावें।

24— जिनके लिये आवश्यक हो उनको धारा 116(3) जा0फौ0 में पाबन्द करावें। पाबन्दी के बाद शर्तो का उलंघन करने पर धारा 122 जा0फौ0 में जमानत राशि जब्त कराने की कार्यवाही करावें।

25— साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय भेजें।

26— यदि अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास हो तो उसका उल्लेख केसडायरी व आरोप पत्र में करें।

27— साक्षियों को समय पर न्यायालय में पेश कर त्वरित न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

28— घटना के कारणों का निराकरण कराने का हरसंभव प्रयास करें।

16– विभिन्न प्रकार के घोखधड़ी के अपराधों की विवेचनाः–

धोखाधड़ी निम्न प्रकार की हो सकती हैं जिनके सम्बन्ध में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाय–

1. विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर।
2. कम दाम पर सामान दिलवाने के नाम पर।
3. रूपया/जेवर दोगुना करने के नाम पर।
4. सोने के जेवर चमकाने के नाम पर।
5. इंजिनियरिंग/मेडिकल/अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों में दाखिला दिलाने के नाम पर।
6. फर्जी चिटफण्ड कम्पनी के नाम पर।
7. फर्जी वित्तीय कम्पनी।
8. पैसा वितरण स्कीम।
9. भूमि पर कब्जा करने वाले।
10. माफिया गैंग।
11. मासिक स्कीम से जुडी लाटरी स्कीमें।
12. खजाना दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी।
13. फर्जी अधिकारी/कर्मचारी बन कर धोखाधड़ी।
14. बाबा, पुजारी या महन्त बनकर धोखाधड़ी।
15. फर्जी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बीजा, पासपोर्ट बनवाने के नाम पर।
16. जाली मुद्रा, जाली सिक्के।
17. फर्जी दस्तावेज।
18. फर्जी ड्राफ्ट/पे आर्डर/आय प्रमाण पत्र।
19. ट्रेड मार्क में बदलाव।
20. मनी लाड्रिंग।
21. साईबर अपराध।
22. आडियो/वीडियो पायरेसी।
23. डुप्लीकेट माल बनाना/बेचना।
24. टैक्स की चोरी/गलत दस्तावेज।
25. फर्जी आयकर बचाने के लिये दस्तावेज।
26. बैंक अधिकारी बनकर बैंक एकाउन्ट नम्बर/एटीएम कार्ड नम्बर जानकर धोखाधड़ी।

विवेचनात्मक प्रकियाः–

1. शिकायत प्राप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।
2. उसके उपरान्त उससे संबंधित प्रकिया, शक्तियों, उत्तरदायित्व के संबंध में जानकारी करें तथा किस व्यक्ति से गलती हुई है, चिन्हित करें।
3. सभी तथ्यों को प्रथम केश डायरी में अंकित करें। कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें।
4. धोखाधड़ी के आधार पर साक्ष्य संकलित करें। विवादित दस्तावेज, हस्ताक्षर लेख (अंक,अक्षर) का मूल एवं विवादित दोनों एकत्रित कर न्यायालय के आदेश से परीक्षण करायें।
5. अंगूठे की छाप हो तो मूल व विवादित दोनों एकत्रित कर न्यायालय के आदेश से परीक्षण करायें।
6. जाली करेन्सी की दशा में मूल करेन्सी से तुलनात्मक जॉच करायें।
7. फर्जी शर्टीफिकेट की दशा में मूल शर्टीफिकेट से जॉच करायें।
8. जमीन से संबंधित तथ्यों में राजस्व विभाग से सूचना एकत्रित करें। विवादित दस्तावेज, हस्ताक्षर, अंगुलियों की छाप एकत्रित करें।
9. साक्षियों को दिखाने के लिये दस्तावेजों को अलग कर रखें।

10. साक्षियों का प्रक्रिया, कार्यपद्धति एवं उत्तरदायित्व के आधार पर परीक्षण करें एवं बयान अंकित करें।
11. अभियुक्त को गिरफ्तार करें। उसके उपरान्त विधि पूर्वक न्यायिक कार्यवाही करें।
12. अभियुक्त की फोटो थाने के एलबम में रखें तथा आस–पास के थानों को भेजे जिससे उन क्षेत्रों में भी पुलिस सतर्कता रखें।
13. साक्ष्य संकिलत कर आरोप पत्र प्रेषित करें।
14. अभियुक्त की जमानत का विरोध करें। इस हेतु पैरवी करते रहे।
15. एटीएम नम्बर, बैंक एकाउन्ट नम्बर, कोडवर्ड, पास वर्ड मोबाइल पर पूछे जाने पर किसी को न बताया जाय। इस हेतु प्रचार–प्रसार के साथ लोगों को जागरूक किया जाय।
16. यदि अभियुक्त आदी अपराधी है तो केश डायरी व आरोप पत्र में आपराधिक इतिहास अंकित किया जाय।

17–स्नैचिंग की घटना में कार्यवाहीः–

घटना होने के सम्भावित स्थान व समय

1. महिलायें बाजार हेतु जब भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाती है।
2. महिलायें जब बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने के लिये जाती है।
3. जब महिलायें स्कूल/कालेज जाती–आती है।
4. जब महिलायें आफिस आती–जाती है।
5. जब महिलायें सुबह/शाम टहलने जाती है।
6. बस या ट्रेन में महिलायें जब खिड़की के पास बैठी हो।
7. मेलों में या धार्मिक स्थलों में घूमते समय या दर्शन के समय।
8. प्रायः अभियुक्त को व्यस्त समय में घटना कारित करके भागना आसान रहता है।

प्रकियाः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करें, जिसमें कितने व्यक्ति थे, किस तरह से आये, उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन तथा अन्य कोई विशिष्ट पहचान हो तो उसका जिक्र करें।
2. तत्काल इसकी सूचना वायरलेस से प्रसारित करें, आस–पास के थानों, पेट्रोल कार को, उच्चाधिकारियों को दें।
3. पुलिस बल महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात करें।
4. पीड़ित/पीड़िता को सान्त्वना दें। अनावश्यक रूप से सवाल जबाब न करें।
5. तत्काल घटनास्थल पर पहुचकर Modus Operandi का पता करें। आस–पास के प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी करें।
6. प्रथम केस डायरी में विवेचना की सम्पूर्ण रूप रेखा तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करें।
7. मुखबिरों की सहायता से सूचना संकलित करें।
8. चोरी का माल खरीदने वालों की दुकानों पर नजर रखें।
9. इस तरह का अपराध करने वाले जेल से बाहर हो तो उनकी गतिविधि चेक करें व पूछतॉछ करें।
10. थानाक्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर चेकिंग/वाहन चेकिंग करायें।
11. रिहायसी क्षेत्रों में सम्पर्क कर आने–जाने वाले अजनवी पर निगाह रखें।
12. जब अभियुक्त प्रकाश में आता है तो पूछतॉछ करें। घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करें। घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों के विषय में जानकारी करें।
13. यदि माल खरीदने/रखने वाला आदी अपराधी हो तो उसके विरूद्ध भी धारा 411 भादवि के तहत कार्यवाही करें।
14. अभियुक्त का फिंगर प्रिन्ट लें तथा घटनास्थल से प्राप्त फिंगर प्रिन्ट से मिलान करायें।
15. यदि कोई बरामदगी अभियुक्त से होती है तो साक्षियों के सामने फर्द तैयार करें। आवश्यकतानुसार कार्यवाही शिनाख्त करायें।

16. माल की बरामदगी के उपरान्त वादी/पीड़ित को माल वापस दिलाये जाने हेतु विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
17. यदि कोई गैंग प्रकाश में आता है तो गैंग रजिस्टर्ड करायें, हिस्ट्रीशीट खोलवायें।
18. साक्ष्यों के आधार पर केस डायरी अंकित कर चार्जशीट भेजें। आपराधिक इतिहास हो तो केस डायरी व चार्जशीट में अंकित करें।
19. यदि अभियुक्त अभ्यस्थ अपराधी है तो धारा 75 भादवि का अवश्य प्रयोग करें।

18–महिला के साथ दुर्ब्यवहारः–

- धारा 509 भादवि के तहत शब्दों, भाव भंगिमा, क्रिया–कलाप या दूरभाष द्वारा महिला से दुर्ब्यवहार जिसमें महिला की गरिमा को आघात पहुॅचें।
- धारा 354 भादवि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति आपराधिक बल प्रयोग करता है, महिला के प्रति मार पीट एवं उसकी गरिमा को आघात पहुॅचाना।

प्रथम प्रक्रियाः–

- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।
- प्रथम सूचना से संबंधित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कौन, कहां, कब, कैसे आदि बिन्दुओं पर जोर दें।
- यदि महिला के साथ मार पीट की घटना हुई तो क्या अपराधी की मंशा महिला के साथ योन दुर्ब्यवहार करने की तो नही थी, इस तथ्य की भी जॉच करें।
- पीड़िता को सान्त्वना देकर उससे घटना के विषय में जानकारी करें। ऐसे प्रश्न न करें जिससे उसकी भावनायें आहत हो। महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही बयान लिया जाय तो अच्छा होगा।
- विवेचना की कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श कर प्रथम केस डायरी में महत्वपूर्ण कार्यवाही की विवरण अंकित करें।
- यदि टेलीफोन द्वारा eve tesaing की घटना कारित की जाती है तो Telephone Exohnge से Call के विषय में जानकारी करें। फोन में Caller I.D. को प्रयोग कर सकते है। मोबाइल से काल की गयी हो तो दोनों मोबाइलों के काल डिटेल व दुर्ब्यवहार करने वाले का आई0डी0 प्रूफ प्राप्त कर विवेचना में शामिल किया जाय।
- घटनास्थल पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण के साथ साक्षियों का बयान अंकित किया जाय।
- यदि घटनास्थल पर चूड़ी के टूटे टुकड़े/फटा हुआ कपड़ा/संघर्ष के निशान मिलते है तो उन्हें एकत्रित करें, फर्द तैयार करें।

द्वितीय कार्यवाहीः–

- अभियुक्त की गिरफ्तारी करें व उसका बयान अंकित करें।
- अन्य कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य हो तो एकत्र करें।
- सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त चार्जशीट प्रेषित करें।
- मुकदमें का न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान गवाहों के बयान के समय न्यायालय में उपस्थित रहें।

रोकथाम के उपायः–

- पार्को, बस स्टापों, कालेजों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों एवं अन्य चिन्हित स्थानों के आस–पास पुलिस पेट्रोलिग की व्यवस्था की जाय।
- घटना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आस–पास के कालोनियों/निवासियों की मिटिंग कर जागरूक करने के साथ सहयोग प्राप्त किया जाय।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

19–बलात्कार के अभियोग की विवेचनाः–

- प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करें।
- अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित करें।
- अभियुक्त के कपड़े को कब्जे में लेकर उस पर यदि Seminal Stains हो तो परीक्षण के लिये भेजें। कंघी की सहायता से बाल ढूढे, मिलने पर परीक्षण करायें।
- अभियुक्त के रक्त का नमूना लें जिससे यदि DNA Test कराना हो तो कपड़े पर Semen के धब्बे तथा पीड़िता के Sawb से मिलान हो सके।
- FSL Report के उपरान्त Medical officer से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त करें।
- साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट प्रेषित करें।
- बलात्संग के अभियोग में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रायः विलम्ब से लिखायी जाती है। अतः वादी के धारा 161 जा0फौ0 के बयान में विलम्ब के कारण को स्पष्ट उल्लेख करते हुए साक्षियों का बयान अंकित करना चाहिए।
- सभी गवाहों के बयान अलग–अलग अंकित करें। केवल यह अंकित कर देना कि गवाह वादी या दूसरे साक्षी के बयान का समर्थन करता है, पर्याप्त नही है। यह पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 109 का उल्लघंन है।
- प्रत्येक अपराधी की पूरी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानने के लिये घटनास्थल का चित्र विवेचक को स्वयं तैयार करना चाहिए। घटनास्थल की फोटोग्राफी करायी जाय।
- विवेचक को घटनास्थल में दिशा के तीर के निशान से वह स्थान को आंकड़ों में दर्शाना चाहिए और इसका पूर्ण विवरण नक्शें में निचे लिखी सूची में होना चाहिए।
- वादी का कथन अंकित किया जाय। यदि वह पीड़ित के अलावा है।
- पीड़ित महिला का कथन महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही अंकित किया जाय।
- पीड़ित महिला की डाक्टरी परीक्षण निम्न बिन्दुओं पर कराया जायः–
    - उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि के लिये।
    - उसके शरीर पर चोटों के होने के संबंध में।
    - उसकी आयु जानने के संबंध में।
- पीड़ित महिला के नाखूनों का निरीक्षण किया जाय, क्योंकि उसमें अभियुक्त के बाल, शरीर की खाल के टुकड़े मिल सकते है, जिनका परीक्षण कराया जाय।
- पीड़ित महिला का बयान धारा 164 जा0फौ0 में न्यायालय में अंकित कराया जाय।
- चस्मदीद गवाह यदि हो तो उनका बयान अंकित करना।
- अभियुक्त व पीड़िता के कपड़े कब्जे में लिये जाय, ताकि उसपर बीर्य इत्यादि होने का परीक्षण कराया जा सके।
- अभियुक्त का डाक्टरी परीक्षण कराया जाय।
- पीड़ित महिला का नाम गोपनीय रखा जाय। (धारा 228ए भादवि)
- अज्ञात अभियुक्तों का कम्प्यूटर से फोटो तैयार कराया जाय।

पुर्नवासः–

- यदि पीड़िता के माता पिता न हो तो स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से उनका पुर्नवास करावें।
- यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हो तो रिपोर्ट प्रेषित कर जिलाधिकारी के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलवायें।

20—पारिवारिक हिंसा के अपराधों में कार्यवाहीः—

उद्देष्यः— पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा पीड़ित पत्नी तथा पत्नी द्वारा की गयी आत्म हत्या के बढ़ते मामलों की व्यवस्थित तरीके से तपतीश करना। किन कारणों से पत्नी, पति द्वारा पीड़ित होती है या पत्नी द्वारा आत्म हत्या की जाती है।

- सामाजिक मुद्दों पर मतभेद।
- पति द्वारा उपेक्षा, शराब पीकर मार पीट करना, सिगरेट से जलाना।
- पति पत्नी के गैर कानूनी संबंध (विवाहेत्तर) या संबंधों का शक करना। पति द्वारा दूसरी शादी करना।
- शारीरिक संबंधों में असमर्थता या अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाना।
- पति के परिवार द्वारा पति पत्नी के मामलों में अत्यधिक दखल देना, लड़की पैदा होने पर मार पीट, कम दहेज के लिये ताना देना, स्त्री द्वारा गर्भ न धारण करने पर ताना देना, स्त्री से ज्यादा काम कराना।
- पति/पत्नी के अहंकार, दूसरों से अपनी तुलना करना।
- पत्नी द्वारा बार—बार एकल परिवार की इच्छा रखना।
- पति द्वारा अपने माता—पिता तथा परिवार के लोगों की देखभाल करने पर पत्नी द्वारा एतराज करना।

तपतीष के तरीकेः—

- जब भी कोई उत्पीड़न की शिकायत हो तो सर्वप्रथम काउन्सलिग के माध्यम से समस्या हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- यदि काउन्सलिग द्वारा कोई परिणाम न निकले तो एफ0आई0आर0 दर्ज करें।
- दहेज मृत्यु के मामले में तत्काल घटनास्थल पर पहुचकर घटनास्थल को सुरक्षित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल उच्चधिकारियों को अवगत करायें। विवेचना पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जाय।
- एफ0आई0आर0 में इस बात का उल्लेख अवश्य हो—विवाह की तारीख, कितना दहेज तय हुआ, कितना दहेज दिया गया, किस विशेष दहेज के लिये कितने दिनों से मृत्यु से पूर्व स्त्री का उत्पीड़न हो रहा था।
- विवेचक द्वारा विवेचना की कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों से अनुमोदन लिया जाय।
- अगर मृत्यु से पूर्व कोई बयान दिया है तो उसका उल्लेख किया जाय।
- आवश्यक गवाहों जैसे—पड़ोसी, मित्र या परिवार के सदस्यों से जानकारी ले कि उनके मतभेद किस बात पर थे, झगड़े, अत्याचार तथा हिंसा का कारण व तरीका पूछे तथा यह भी जाने कि वह कौन सा कारण था जो उस दिन मृत्यु का कारण बना।
- वह व्यक्ति जिसने पहले भी इनकी काउन्सलिग करायी थी उसको स्वतंत्र साक्षी के तौर पर रखें।
- विना पूरी तपतीश किये गिरफ्तारी करने की जल्दबाजी न करें।
- अक्सर ऐसे मुकदमों में परिवार के सभी सदस्यों व कुछ रिश्तेदारों के विरूद्ध तपतीश होती है। इसे गम्भीरता से देखें कि किसका क्या रोल रहा है।
- धमकी या दहेज मांग के जो भी पत्र हो उन्हें साक्ष्य के रूप में शामिल करें।
- प्रायः सीधे दहेज मृत्यु कारित करने का आरोप लगा दिया जाता है। घटना से पूर्व दहेज की मांग व प्रताड़ना की कोई शिकायत नही की गयी होती है।
- प्रायः मृत्यु की सूचना मिलने पर पंचायतनामा व दाह संस्कार में मायके पक्ष के लोग शामिल होते है और उस समय कोई शिकायत नही करते। बाद में सोच विचार कर एफ0आई0आर0 दर्ज कराते है।

- साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी करें तथा उन्हें सफाई का मौका देने के लिये न्यायालय में पेश करें।
- सबूतों के आधार पर अपनी केस डायरी अभियोजन के पक्ष या विपक्ष में तैयार करें। अगर अपराधी को किसी कारण बश छोड़ना है तो इसकी जानकारी उच्चधिकारियों को देकर अनुमति लें। यदि धारा में परिवर्तन करना है तो उसका भी अनुमोदन लें।
- विवेचनाधिकारी की जिम्मेदारी है कि न्यायालय में गवाही के समय उपस्थित होकर हत्या या उत्पीड़न के बारे में गवाही दें।

<u>विवाह का साक्ष्य संकलित करनाः–</u>

1– विवाह का कार्ड।
2– फोटो अथवा आडियो/वीडियो कैसेट।
3– विवाह कराने वाले पुरोहित का बयान।
4– विवाह कराने वाले मध्यस्थ का बयान।
5– विवाह में शामिल कुछ लोगों के बयान।

दहेज की मांग के सम्बन्ध में महिला के उत्पीड़न का साक्ष्य निम्न प्रकार संकलित किया जा सकता है।

क– मृतका/पीड़िता द्वारा अपने मायके वालों को लिखे पत्र।
ख– ब्यक्तिगत डायरी।
ग– किसी क्रूरता सम्बन्धी ऐसी घटना जिसके कारण उसे कभीं अपने मायके जाना पड़ा हो।
घ– पीड़िता/मृतका के घर के आस पास के लोगों से उसके उत्पीड़न के सम्बन्ध में दिये गये कथन के द्वारा।
च– बर/कन्या पक्ष में दहेज की मांग/प्रताड़ना के सम्बन्ध में विवाद को लेकर यदि कोई पंचायत या लिखित समझौता हुआ हो तो उसके द्वारा।

<u>दहेज मृत्यु के तरीके–</u>

1–जलने के कारण।
2– जहर के द्वारा।
3– फांसी पर लटकने से।
4– कुएँ, तालाब में डूब कर।
5– रेल से कट कर या किसी वाहन के सामने कूद कर।
6– विजली के तार छूकर जब विद्युत धारा प्रवाहित हो।

दहेह मृत्यु के घटनास्थल का निरीक्षण निम्न प्रकार से किया जाय–

ए– यदि मृत्यु जलने से हुई हो तो यह देखा जाय कि ज्वलनशील पदार्थ किस प्रकार का है तथा किस प्रकार के कन्टेनर में है तथा शव से उसका फासला कितना है। माचिस की तीलियां कितनी जलायी गयी है। माचिस की तीलियां शव से कितनी दूरी पर है।
बी– ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है या साफ कर दिया गया है। कपड़े, मिट्टी, ज्वलनशील पदार्थ व कन्टेनर, जलने के अवशेष कब्जे में लिये जाएँ।
सी– यदि मृत्यु से पूर्व मृतका द्वारा लिख कोई पत्र हो तो कब्जे में लेकर सीलमोहर कर पुराने लेख प्राप्त कर मिलान कराया जाय।
डी– यदि जहरीला पदार्थ प्रयोग में लाया गया हो तो मुंह, नाक को देखा जाय कि झाग निकला है या नहीं। जहरीले पादार्थ की शीशी, पैकेट कव्जे में लिया जाय तथा देखा जाय कि वह शव से कितनी दूरी पर व किस दशा में है। यदि उल्टी/झाग आदि मिले तो परीक्षण कराया जाय।
ई– यदि दरवाजा बन्द कर आत्महत्या करना बताया जाता है तो ध्यान से देखा जाय कि कुण्डी की स्थिति कैसी है, क्या वाहर से हाथ डाल कर या किसी औजार से वाहर से खोली व बन्द किया जा सकता है। किवाड़ उतार कर चढ़ाये जा सकते हैं या नहीं।

एफ–बन्द दरवाजा कैसे खोला गया, किन किन लोगों के सामने खोला गया।

जी–यदि फांसी लगायी गयी है तो किस चीज पर चढ़ कर लगायी गयी, धन्न/कुन्डे की ऊॅचाई कितनी है।

एच–फासी किस प्रकार लगायी गयी है। उसे कब्जे में लिया जाय।

आई–कुऍ में गिर कर आत्महत्या के मामले में देखा जाय कि कुऍ से पानी निकालने की रस्सी,वाल्टी की क्या स्थिति है, पहले किसने देखा, किस प्रकार निकाला गया। शव पर चोट किस प्रकार की है। तालाब के किनारे धोने वाले कपड़े तो नहीं है, घाट पर पानी कितना गहरा है। मृतका तैरना जानती थी या नहीं।

जे–रेल/मोटर वाहन के सामने कूद कर आत्महत्या के मामले में वाहन का नम्बर, ट्रेन का नम्बर ज्ञात कर चालक का बयान लिया जाय।

के– विद्युत स्पर्श से मृत्यु हुई हो तो उसके साधन एवं उपकरणों को बारीकी से देखा जाय। तथा फर्द बना कर कब्जे में लिया जाय।

21–आपराधिक न्यास भंग के विषय में–

धारा–406 भादवि आपराधिक न्यास भंग के संबंध में दण्ड।

धारा–407 भदवि वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग के संबंध में।

धारा–408 भादवि लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग के संबंध में।

धारा–409 भादवि लोकसेवक द्वारा या बैंकर,व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग के संबंध में।

जो कोई सम्पत्ति या समपत्ति पर अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लेता है।

- इस संबंध में शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।
- शिकायत किस प्रकार की है उसे चिन्हित करें।
- पुलिस रेगुलेशन के पैरा 104 के अनुसार आवश्यक हो तो कार्यवाही करायी जाय।
- प्रथम केस डायरी में अपने कार्य की योजना निर्मित करें तथा अनुमोदन प्राप्त करें।
- विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें।
- आपराधिक न्यास भंग की गहराई (मात्रा) का मूल्यांकन करें।
- उन दस्तावेजों को हासिल करें जो अभियुक्त के धन जिसका लेखा विवरण न हो, प्रमाणित करें।
- विनिमय से संबंधित सभी दस्तावेज एकत्र करें।
- आरोपित एजेन्सी, निकाय को विश्लेपित करें।
- यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर/छाप अंगुश्त का नमूना लें।
- फण्ड का स्थानान्तरण रोकने के लिये जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर से अटैचमेंट आर्डर प्राप्त करें।
- जब प्राथमिक तौर पर अपराध प्रमाणित हो तो अभियुक्त को गिरफ्तार करें।
- अभियुक्त से पूछतांछ करें, साक्ष्य के क्रम में यदि कोई वस्तु/सम्पत्ति/कैश प्राप्त हो तो गवाहों के सामने फर्द बनाकर कब्जे में लें।
- अभियुक्त के बयान के आधार पर अन्य कोई अभियुक्त हो तो प्रकाश में लाकर कार्यवाही करें।
- यदि आवश्यक हो तो अभियुक्त के लिखावट का नमूना लें और उससे चेक,बाउचर Invoice जो आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है।
- लिखावट का नमूना न्यायालय के सामने प्राप्त करें।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला से दस्तावेजों का परीक्षण करायें।
- साक्ष्य संकलित कर चार्जशीट प्रेषित करें।

22–डकैतीः–

- सूचना मिलने पर पुलिस के गश्त पार्टी को/मोबाइल वाहनों को तत्काल सूचना दें।
- आस–पास के थानों व उच्चाधिकारियों को तत्काल वायरलेस से सूचना दें।
- क्षेत्र की नाकेबन्दी करायें, वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग करवायें।
- गिरोह द्वारा घटना कारित करने पर दुबारा घटना करने की सम्भावना रहती है। अतः घटनास्थल पर पहुचने के साथ अन्य महत्वपूर्ण मार्गो पर भी पुलिस बल भेजा जाय।
- अभियुक्तों के Modus Operandi का अध्ययन किया जाय।
- घटनास्थल पर प्रकाश की व्यवस्था के विषय में विशेष उल्लेख किया जाय। विद्युत व्यवस्था, रात्रि में चन्द्रमा, घर में अन्य प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था का उल्लेख के साथ विद्युत विभाग से उस क्षेत्र में पावर सप्लाई से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।
- बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन, लाज, रेलवे ट्रक तथा रोड पर दूरदराज में खाली पड़े ट्रक व अन्य वाहनों पर विशेष ध्यान देकर चेकिंग करें।
- Modus Operandi के आधार पर विभिन्न गैंगों के कार्यशैली से मिलान कर कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करें।
- थाना/जनपद स्तर पर उपलब्ध अपराधियों के फोटोग्राफ घटनास्थल व आस–पास के उपस्थित लोगों, निवासियों को दिखाकर अभियुक्तों को चिन्हित करें।
- कम्प्यूटर से पोट्रेट भी प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से तैयार कराया जा सकता है।
- चोरी/लूट का माल खरीदने वालों पर नजर रखें।
- हाल में जमानत पर जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखें, गतिविधि चेक करें, पूछताछ करें।
- यदि अभियुक्त विगत में दण्डित हुये हो तो धारा 75 भादवि का भी प्रयोग करें।
- गैंग होने की दशा में धारा 401 भादवि भी लगायें।
- यदि गैंग पूछतांछ में अन्य जिलों/थानों में घटना कारित करने की जानकारी देता है तो संबंधित जिलों/थानों को सूचित किया जाय।
- पीड़ित पक्ष को समय–समय पर कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

❖